



**न्यायालय: सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
थानागाजी जिला अलवर**

पीठासीन अधिकारी – नरेन्द्र कुमार मीना, आर.जे.एस.
दीवानी वाद संख्या – 34/47/2015
सी0आई0एस0 संख्या – 234/2015

1. मोहनलाल पुत्र मदनलाल
 - 1/1 बीना शर्मा पत्नी मोहनलाल
 - 1/2 कुलदीप पुत्र मोहनलाल
 - 1/3 अभय पुत्र मोहनलाल
 - 1/4 कविता पुत्री मोहनलाल
 - 1/5 योगश्री पुत्री मोहनलाल
- निवासीगण प्रतापगढ जिला अलवर राज0।
2. कालूराम पुत्र लादूराम
 3. रामचंद पुत्र सीताराम
 4. श्योनाथ पुत्र लादूराम
 5. छाजूराम पुत्र बिरदूराम
 6. रामप्रताप पुत्र मांगूराम
 7. जयराम पुत्र ख्यालीराम
- निवासीगण लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत लालपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लालपुरा पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर राज0।
 2. सूण्डी देवी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लालपुरा, पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर राज0।
 3. जम्मन सहाय पुत्र नानछाराम
 4. बच्ची देवी पत्नी निवास
 5. श्रीराम पुत्र लच्छूराम
- निवासीगण लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
6. सुग्गाराम पुत्र ग्यारसा माधोगढ
 7. छोटी देवी पत्नी नारायणलाल
 8. अर्जुनलाल पुत्र नाथू
 9. तोताराम पुत्र नानछाराम
 10. गल्लाराम पुत्र नानछाराम
 11. रमेश चंद पुत्र कालूराम
 12. लाडा देवी पत्नी भरतलाल
- निवासीगण लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं हुक्मइम्तनाई

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, श्री सोनू सिंह, अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री बनवारीलाल शर्मा, श्री चन्द्रशेखर शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण ओर से।



निर्णय

दिनांक : 01.05.2026

1. वादीगण ने हस्तगत वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध बाबत इस्तकरारहक एवं हुक्मइम्तनाई का पेश किया जो दिनांक 27.01.2015 को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर हुआ।
2. संक्षेप में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में मुताबिक सीमा मौका ग्राम लालपुरा के लोगों की एवं वादीगण की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि स्थित चली आती है। जिस सार्वजनिक भूमि में ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा दिनांक 13.12.1999 को पट्टा संख्या 26, जम्मन सहाय पुत्र नान्छाराम निवासी लालपुरा के नाम जारी किया गया है जिसकी नपत पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 15 गज, उत्तर दक्षिण दोनों सिरे 10 गज सीमा पूर्व को खातेदारी रामस्वरूप प्रतापगढ का खेत, पश्चिम को आम रास्ता प्लॉट में जाने का, उत्तर को आम रास्ता ग्राम लालपुरा, दक्षिण को प्लॉट श्रीराम लालपुरा का स्थित है। पट्टा संख्या 27, श्री राम पुत्र लच्छूराम निवासी लालपुरा के नाम जारी किया गया है जिसकी नपत पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 15 गज, उत्तर दक्षिण दोनों सिरे 10 गज, सीमा पूर्व को खातेदारी रामस्वरूप प्रतापगढ का खेत, पश्चिम को प्लॉट में जाने का रास्ता, उत्तर को प्लॉट जम्मनसहाय का, दक्षिण को प्लॉट सुग्गाराम माधोगढ स्थित है। पट्टा संख्या 28, सुग्गाराम पुत्र ग्यारसा निवासी माधोगढ के नाम जारी किया गया है जिसकी नपत पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 15 गज, उत्तर दक्षिण दोनों सिरे 10 गज, सीमा पूर्व को खातेदारी रामस्वरूप प्रतापगढ का खेत, पश्चिम को आम रास्ता प्लॉट में जाने का, उत्तर को श्री राम का प्लॉट, दक्षिण को प्लॉट अर्जुन का स्थित है। पट्टा संख्या 29, अर्जुनलाल पुत्र नाथूराम निवासी लालपुरा के नाम जारी किया गया है जिसकी नपत पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 15 गज, उत्तर दक्षिण दोनों सिरे 10 गज, सीमा पूर्व को खातेदारी रामस्वरूप प्रतापगढ का खेत, पश्चिम को आम रास्ता प्लॉट में जाने का, उत्तर को सुग्गाराम माधोगढ का प्लॉट, दक्षिण को आबादी भूमि पंचायत का स्थित है। पट्टा संख्या 30 तोताराम पुत्र जम्मन सहाय निवासी लालपुरा के नाम जारी किया गया है जिसकी नपत पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 15 गज, उत्तर दक्षिण दोनों सिरे 10 गज सीमा पूर्व को आम रास्ता प्लॉट में जाने का, पश्चिम को गोचर भूमि लालपुरा, उत्तर को रामस्वरूप गुप्ता प्रतापगढ आम, दक्षिण को गुल्लाराम लालपुरा का प्लॉट स्थित है। पट्टा संख्या 31, गुल्लाराम पुत्र



नानछाराम निवासी लालपुरा के नाम जारी किया गया है जिसकी नपत पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 15 गज, उत्तर दक्षिण दोनों सिरे 10 गज सीमा पूर्व को आम रास्ता प्लॉट में जाने का, पश्चिम को गोचर भूमि लालपुरा, उत्तर को तोताराम का प्लॉट, दक्षिण को प्लॉट रमेशचंद चाहाकाबास स्थित है। पट्टा संख्या 32, रमेशचंद पुत्र कालूराम निवासी चाहाकाबास के नाम जारी किया गया है जिसकी नपत पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 15 गज, उत्तर दक्षिण दोनों सिरे 10 गज सीमा पूर्व को आम रास्ता प्लॉट में आने जाने का, पश्चिम को गोचर भूमि लालपुरा, उत्तर को गुल्लाराम का प्लॉट, दक्षिण को आबादी भूमि पंचायत की स्थित है। उपरोक्त विवादित पट्टों की भूमि ग्राम लालपुरा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि में जारी किये गये हैं जिसके लगते हुए खसरा नंबर 710 है जिस खसरा नंबर 710 के पूर्व में वादी मोहनलाल की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 711 स्थित है जिस आराजी में वादी मोहनलाल ने पत्थरों का कोरापारा पत्थरों का डण्डा लगा रखा है। विवादित स्थल पर डण्डे में से बचे पत्थर पड़े हुए हैं। विवादित स्थल के पश्चिम में सीसी रोड एवं पूर्व में वादी मोहनलाल की आराजी एवं उत्तर में खाली जमीन एवं दक्षिण में खाली जमीन है जिसके बीच में विवादित पट्टों की भूमि है जो चारागाह की भूमि है एवं वादी मोहनलाल के खत में आने जाने हेतु रास्ते एवं स्कूल के खेल मैदान की जमीन है एवं पशुओं क चरने उठने बैठने के काम में आती है जो ग्रामवासियों एवं वादीगण के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है जिन विवादित पट्टों की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 का कभी कब्जा नहीं रहा, ना आज मौके पर है, ना काबिज रहकर उपयोग उपभोग किया है। विवादित पट्टों के मालिक पट्टों के आधार पर पक्का निर्माण करने की मंजूरी ग्राम पंचायत से चाही थी, परन्तु पंचायत ने मौका देखा और मौका रिपोर्ट से पट्टे वाली भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं पाया। खाली पडी जमीन है जिस पर ग्राम पंचायत प्रतिवादी संख्या 1 ने मंजूरी नहीं दी और प्रतिवादीगण द्वारा पेश मंजूरी का प्रार्थना पत्र खाजिर फरमा दिया गया जो पट्टे तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा जारी किये गये हैं वो सभी पट्टे अपने मिलने वालों लोगों को लाभ पहुंचाने की नियत से चारागाह भूमि में जारी किये हैं। पट्टे गलत जारी किये गये हैं जो पट्टे मात्र कागजी हैं, जिन पट्टों पर ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिन पट्टों पर सचिव के भी हस्ताक्षर नहीं है। जिन गलत पट्टों के जारी होने से गांव में तनाव की स्थित पैदा हो गई है। जो पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा पट्टेधारियों के नाम जारी किये गये हैं उस पट्टाशुदा भूमि पर



आज तक भी पट्टेधारियों का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। इसलिए पट्टे निरस्त किये जाने योग्य हैं। सभी आवंटियों के पास पक्के मकान है। पंचायत अधिनियम 158/3 के तहत अगर पट्टा जारी कर दिया जाता है तो पट्टेधारियों को आवंटितशुदा को दीगर लोगों को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 जम्मन सहाय ने अपने पट्टाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 बच्चीदेवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 03.03.2011 को एवं प्रतिवादी संख्या 6 सुग्गाराम ने अपने पट्टाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 छोटीदेवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.11.2019 को एवं प्रतिवादी संख्या 11 रमेशचंद ने अपने पट्टाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 12 लाडा देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.11.2009 को बेचान कर दिया है जिनको बेचने का कोई हक अधिकार नहीं है। इस आधार पर पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टाशुदा भूमि सार्वजनिक सभास्थल आदि के काम में आती है। वादीगण ने जो ग्राम पंचायत को नोटिस दिया उसके जवाब में स्वयं ग्राम पंचायत अपने जवाब नोटिस में अवैध पट्टे जारी किया जाना माना है एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि माना है। सभी पट्टे अनरजिस्टर्ड हैं, क्योंकि 99/- रुपये से अधिक कीमत के पट्टे होने पर उनको रजिस्टर्ड कराया जाना आवश्यक है जो उपरोक्त सभी पट्टे ग्राम पंचायत लालपुरा के तत्कालीन सरपंच प्रतिवादी संख्या 1 अशिक्षित महिला होने पर तत्कालीन वार्डपंच लच्छूराम के दबाव में आकर अपने मिल्लत के लोगों को लाभ पहुंचाने की नियत से जारी कराये गये हैं जो पट्टे निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त विवादित भूमि आज भी मौके पर खाली पड़ी हुई है जो गांव की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है जिसमें आने जाने के रास्ते मौके पर हैं एवं उक्त विवादित भूमि में गांव के ही पशु चरते उठते बैठते हैं, विश्राम करते हैं और स्कूल के बच्चे कब्जा किसी प्रकार का नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 12 बेईमान किस्म के चतुर चालाक मूठमर्द किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने विवादित भूमि पर पट्टों की आड में अपना हक कब्जा कायम करने की नियत से वादीगण के खिलाफ दिनांक 18.02.2014 को दावा पेश करने पर वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण के नाम सार्वजनिक भूमि के पट्टे जारी हैं जिस पर वादीगण ने पट्टों की नकल ग्राम पंचायत से प्राप्त की जो सभी पट्टे अवैध एवं फर्जी हैं एवं वादीगण के हकूकों के मुकाबले बातिल व बेअसर नाकाबिल पाबंदी हैं जिन सभी पट्टों को वादीगण जरिये अदालत निरस्त कराने के अधिकारी हैं। यदि उक्त प्रतिवादीगण ने पट्टों की विवादित भूमि पर जबरन अनाधिकार पूर्वक कब्जा कर



लिया, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया, ग्रामवासियों व वादीगण को उपयोग उपभोग सार्वजनिक भूमि का नहीं करने दिया, जबरन अवैध तरीके से निर्माण कर शकल मौका भूमि बदल दी, दीगर लोगों को रहन बय मुत्तकिल कर दिया तो वादीगण बरबाद हो जावेंगे, हकूक वादीगण जायल होंगे, मुकदमा बाजी बढेगी। गांव की सार्वजनिक भूमि हाथ से निकल जावेगी जिससे वादीगण को ऐसा भारी नापूर्ति नुकसान होगा कि जिसकी पूर्ति रूपयों में या अन्य हकूकों में नहीं की जा सकेगी इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। विवादित पट्टों की पट्टे संख्या 26 लगायत 32 की भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि हैं जिसमें समस्त ग्रामवासी लालपुरा के सभी वासिन्दगान का हित निहित है और ग्राम लालपुरा की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है जिमसें खेतों में आने जाने के रास्ते मौके पर हैं एवं उक्त विवादित भूमि में गांव के ही पशु चरते उठते बैठते हैं, विश्राम करते हैं और स्कूल के बच्चे खेलते हैं एवं सभा स्थल के काम आती है जो भूमि सदैव से ग्रामवासी लालपुरा के लोगों के सार्वजनिक उपयोग उपभोग के काम आती है। वादीगण ने अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस दिनांक 01.05.2014 को दिया जा चुका है जिसकी मियाद अवधि दो माह दिनांक 01.07.2014 को पूर्ण हो चुकी है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने पट्टों को निरस्त नहीं किया है। गलत पट्टों की जानकारी होने दिनांक 18.02.2014 को एवं नोटिस देने दिनांक 01.05.2014 को व नोटिस की अवधि पूर्ण होने की दिनांक 01.07.2014 दावा हेतु बिनायदावी व बिनायमुखारमत समझी जावे। इस्तकरारहक की मालियत प्रति पट्टा 300/- रूपये मालियत के हिसाब से सभी सातों पट्टों की कुल मालियत 2100/- रूपये पट्टा निरस्त की कायम की जाकर दावे पर न्यायशुल्क 78/- रूपये एवं दावा स्थाई निषेधाज्ञा की मालियत 400/- रूपये कायम की जाकर दावा पर न्यायशुल्क 10/- रूपये कुल 88 रूपये दावा पर चस्पा है एवं तलबाना शुल्क आठ रूपये चस्पा है। दावा अंदर मियाद पेश है। अंत में वादीगण का वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया कि उपरोक्त सभी पट्टे नियमानुसार पूर्व सरपंच सूण्डी देवी द्वारा आबादी भूमि में जारी किये गये हैं। विवादित भूमि चारागाह भूमि नहीं है, बल्कि विवादित भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा आबादी में कनवर्ट कराया गया है तथा दिनांक 12.01.1988 को उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा आबादी भूमि में कनवर्ट कर ग्राम पंचायत लालपुरा



को संभलाया गया है तथा उसी के उपरान्त ग्राम पंचायत लालपुरा ने प्रार्थीयान को पटटे जारी किये गये हैं एवं तभी से पटटाधारी काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं तथा पटटा प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 जम्मन सहाय ने अपनी पटटाशुदा भूमि को प्रतिवादिनी संख्या 4 बच्ची देवी को एवं प्रतिवादी संख्या 6 सुग्गाराम ने अपनी पटटाशुदा भूमि को प्रतिवादिनी संख्या 7 छोटी देवी को एवं प्रतिवादी संख्या 11 रमेशचंद ने अपनी पटटेशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 12 लाडा देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया है जिनको बेचने का संपूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त विवादित पटटों की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। विवादित पटटे हाल खसरा नंबर 710 वाकै ग्राम लालपुरा में जारी किये गये हैं। समस्त विवादित पटटे ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही प्रतिवादीगण को जारी किये गये हैं। खसरा नंबर 710 में वादी मोहनलाल ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जो अतिक्रमण प्रतिवादीगण को दिये गये पटटों की भूमि पर है। वादी मोहनलाल ने उक्त दावा वादीगण दो लगायत सात से मिलकर पटटे वाली विवादित जमीन को हडप करने की गरज से यह दावा लेकर आया है। वादी मोहनलाल ने पत्थरों का जो डण्डा लगा रखा है यह बच्ची देवी एवं छोटी देवी तथा लाडा देवी की पटटेशुदा आबादी भूमि के कुछ भाग पर कब्जा कर पत्थरों का कोरापारा डण्डा लगा रखा है जो डण्डा बच्ची देवी, छोटी देवी एवं लाडा देवी के दावा दायर करने के बाद लगाया है जो दावा अदालत में विचाराधीन है। उन दावों से बचने की आड में उक्त दावा न्यायालय में पेश किया गया है। विवादित पटटों की भूमि को चारागाह भूमि गलत तरीके से दर्शित किया गया है। विवादित भूमि मोहनलाल के खेत में आने जाने हेतु रास्ते एवं खेल मैदान तथा पशुओं के चरने व उठने बैठने के काम में नहीं आती है और ना ही उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा पटटा जारी करने एवं उसके बाद रजिस्ट्री के आधार पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा पेश मंजूरी का प्रार्थना पत्र कब खारिज फरमा दिया गया है इस बात की जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है। सभी पटटे नियमानुसार जारी किये गये हैं तथा पटटेधारी मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। यह बात गलत है कि विवादित पटटे चारागाह भूमि में जारी किये गये हैं मात्र ग्राम सेवक एवं पदेव सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से पटटे निरस्त योग्य नहीं है। सभी पटटे नियमानुसार जारी किये गये हैं तथा पटटेधारी



मौके पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। आवंटियों के पास कोई पक्के मकान नहीं हैं। पट्टाधारी कभी भी आवश्यकता पडने पर अपनी पट्टेशुदा जमीन को दीगर लोगों को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार रखता है इस आधार पर कोई भी पट्टा निरस्त होने योग्य नहीं है। वादी को पट्टेशुदा भूमि को निरस्त करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को निरस्त कराने का दावा पृथक से सिविल कोर्ट में दायर करना चाहिए। केवल यह कह देना कि पट्टेशुदा भूमि को रजिस्टर्ड बैयनामा कर दिया इस आधार पर कोई पट्टा निरस्त होने योग्य नहीं है। पट्टाशुदा भूमि सार्वजनिक सभा स्थल के लिए कभी भी काम में नहीं आयी है जो पट्टे जारी किये गये हैं वो सभी पट्टे सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद आबादी भूमि हाल खसरा नंबर 710 में जारी किये गये हैं जिनको निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है तथा निर्माण स्वीकृति का प्रार्थना पत्र खारिज कर किये जाने से कोई भी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। पट्टो का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है तथा अनरजिस्टर्ड पट्टे से पट्टे के टाइटल में कोई फर्क नहीं पडता है आवश्यकता पडने पर कभी भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया जा सकता है केवल यह बात कह देना कि पट्टे अनरजिस्टर्ड हैं इसलिए निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 पट्टेशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा पट्टा जारी करने एवं उसके बाद पट्टे के आधार पर रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। ग्रामवासियों द्वारा कभी भी विवादित भूमि का उपयोग सार्वजनिक भूमि के रूप में नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के पास विवादित भूमि का वैध टाइटल है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण कभी भी किसी को अपनी भूमि को मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार रखते है। वादीगण क्यों बर्बाद होंगे एवं कौनसे हकूक जायल होंगे यह बात प्रतिवादीगण की समझ से बाहर है। जब वादीगण का विवादित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है तो नापूर्ति होने वाला नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। विवादित पट्टों की संख्या 26 लगायत 32 की भूमि सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि नहीं है और ना ही समस्त ग्रामवासी लालपुरा के निवासियों का हित निहित नहीं है, ना ही विवादित भूमि में गांव के पशु चरते हैं और ना ही स्कूल के बच्चों के खेलने एवं सभा स्थल के काम में आती है बल्कि सही बात यह है कि विवादित पट्टो की भूमि आबादी भूमि है।



जिसके पटटे प्रतिवादीगण को सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद ग्राम पंचायत लालपुरा ने प्रतिवादीगण को विधिवत रूप से जारी किये है। वादी ने धारा 109 पंचायत अधिनियम के तहत 2 माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जो नोटिस वादीगण ने अपने वकील से कब दिलवाया एवं पंचायत को कब प्राप्त हुआ एवं क्या कार्यवाही हुई इस बात की जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है। बिनायदावी एवं बिनायमुखारमत की तारीख गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है जिसके आधार पर कोई बिनायदावी एवं बिनायमुखारमत पैदा नहीं होती है। दावा इस्तकरारहक का पेश किया गया है। जिसकी मालियत प्रति पटटा 300 रूपयें मालियत के हिसाब से कुल मालियत 2100 रूपये मानकर कायम की जाकर न्याय शुल्क चरपा किया गया है जो न्याय शुल्क कम है। वर्तमान में एक पटटेशुदा जमीन की कीमत 30 व 40 हजार रूपये के बीच में है। इस प्रकार मालियत दावा लगभग 2 लाख रूपये है। जिसके आधार पर न्याय शुल्क वसूल किया जाना आवश्यक है। दावा मियाद बाहर पेश किया है। अंत में वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. वादीगण द्वारा लिखित बहस कर तर्क दिया कि सातों पटटेधारियों ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 21.02.2013 को निर्माण स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र दिया जिस पर सरपंच ने कमेटी गठित की जिसमें राजसिंह सरपंच, रामजीलाल, उपसरपंच, रामधन, महोदव, कल्याण, कन्हैयालाल को कमेटी में नियुक्त किया। कमेटी ने दिनांक 05. 03.2013 को अपनी रिपोर्ट पेश की कमेटी ने कहा कि खसरा नम्बर 710 की स्थिती स्पष्ट नहीं हो सकी इसलिये पटवारी हल्का के साथ पुनः मौका निरीक्षण किया जावे। इस पर पंचायत ने पुनः पटवारी हल्का के साथ मौका देखने भेजा। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 20.03.2013 को पेश की। जिसमें आज दिनांक तक किसी प्रकार का कब्जा नहीं पाया गया न ही प्लाटों में कोई प्लोटिंग की गई। इस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.03.2013 को ग्रामवासियों की शिकायत व मौका रिपोर्ट देखने के पश्चात स्वीकृति का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे यह साबित होता है विवादित पटटों की जगह पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है तथा गैर कानूनी रूप से पटटे जारी किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा जो पटटा लेने को आवेदन किया था उस आवेदन का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। आवंटन के पश्चात ग्राम सेवक मौके पर जाकर जमीन की निशादेही कर कब्जा संभलाता है कब्जे बाबत कोई रिपोर्ट, दखलनामा, मौका रिपोर्ट पंचायत व मौका रिपोर्ट कमिश्नर व कोई



फोटोग्राफ के बिना कब्जे की कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं है व प्रतिवादीगण ने अपने गवाही में केवल छडी होना बताते हैं। मौका कमिश्नर द्वारा पेश रिपोर्ट में भी भूमि खाली बताया है व पंचायत द्वारा देखा मोका रिपोर्ट में भूमि खाली है तो कब्जा कैसे साबित माना जावे। अलोटमेन्ट 13.12.1999 का और सन 2013-14 तक कब्जा न करने का कारण प्रतिवादीगण नहीं बताये पाये। पट्टे में भी कहीं पर खसरा नम्बर 710 का हवाला नहीं है। पट्टा जारी करने की कोई तारीख पट्टे में दर्ज नहीं है। केवल दायरा तारीख 28.10.99 एवं 300/- रुपये व रसीद संख्या दर्ज है पंचायत कोरम की मीटींग में तय होता है कि इन लोगों को अलोटमेन्ट करना है उस मीटींग में प्रस्ताव पास होता है उस प्रस्ताव का कोई कम संख्या होता है कोई मीटींग व प्रस्ताव की नकल प्रतिवादीगण ने पेश नहीं की है जो पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण के पक्ष में जो पट्टे जारी किये गये हैं वो पट्टे कानूनी रूप से गलत है क्योंकि वादीगण को जिन पट्टों की नकल ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है नियम 167 (2) के तहत ग्राम सेवक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। पट्टों में जारी करने की दिनांक सकल्प संख्या, आदि कुछ भी दर्ज नहीं है। सारे पट्टे सन्देह के घेरे में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सरपंच व वार्ड पंच ने मिलकर अपने परिवार जनो को दिये हैं। प्रतिवादीगण को जो पट्टे जारी किये गये हैं उन पट्टेशुदा भूमि की न तो नपत न सीमाएँ मौके पर हैं न ही पट्टेदार का कोई कब्जा है इतने पुराने पट्टे के आधार पर अब प्रतिवादीगण कब्जा करना चाहते हैं। विवादित स्थल पर ना तो कोई पट्टाशुदा भूमि है ना ही प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 12 के वर्णितानुसार नपत व सीमा की कोई जमीन मौके पर स्थित है। जो मौके पर बिल्कुल खाली है जो गांव के चारागाह की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 03 ने जम्मन पुत्र नान्छाराम निवासी लालपुरा से जो पट्टाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 04 बच्ची देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 03.03.2011 को एवं प्रतिवादी संख्या 06 सुग्गाराम ने अपने पट्टा शुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 07 छोटी देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.11.2009 को एवं प्रतिवादी संख्या 11 रमेश चन्द ने अपने पट्टाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 12 लाडा देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.11.2009 को बेचान कर दिया जो कानूनी रूप से पट्टे धारी को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान पंचायत नियम 158 (3) के तहत इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बड़े अक्षरों में विक्रय के लिए नहीं की मुहर लगायी जायेगी। यदि कोई



भी आवंटिती ऐसे ग्रह स्थल/गृह को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित या विक्रीत करे तो आवंटन स्वत ही निरस्त हो जायेगा स्वामित्व उस पर के संनिर्माण या पडी सामग्री के साथ पंचायत के साथ पंचायत मे निहित हो जायेगा और अंतरित को ऐसी आबादी भूमि पर अतिचारी मानते हुये बेदखल कर दिया जायेगा। इस प्रकार पटटे धारी का कब्जा ही साबित नही है तो रजिस्ट्री कराने पर कब्जा समलवाय साबित नही है सारे पटटे सन्देह के घेरे में बिना विधिक प्रकिया अपनाये सरपंच व वार्ड पंच ने मिलकर अपने परिवार जनो को दिये जो पटटे निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूखण्ड की बाबत प्रतिवादी 03 लगायत 12 पटटेदारों ने पटटे के आधार पर पक्का निर्माण करने की मंजूरी ग्राम पंचायत से चाही थी जिस पर गाम पंचायत ने मोका देखा और मोका रिपोर्ट से पटटेवाली भूमि पर प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 12 का काब्जा नहीं पाया। खाली पडी जमीन है जिस पर गाम पंचायत ने मजूरी नहीं दी व प्रतिवादीगण पटटेदारो की मजूरी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 12 विवादित भूमि से गेरकाबिज व्यक्ति है। प्रतिवादीगण को जो पटटा दिया गया है वह पटटा कानूनी रूप से गलत है। क्योकि पटटे पर ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर नही है राजस्थान पंचायत राज नियम 167/2 के तहत सचिव के पटटा पर हस्ताक्षर आवश्यक है तत्कालीन ग्राम पंचायत की सरपंच सूण्डीदेवी अशिक्षित महिला थी और तत्कालीन वार्डपंच लच्छूराम पढा लिखा व चतूर चालाक किस्म का था जिसने सरपंच को अपने प्रभाव मे लेकर अपने परिवाजन व अपने मिलने वाले लोगो को पटटे जारी करवा लिये जिसके उल्लेख वादपत्र में किया गया है। वादीगण ने जिन पटटो को निरस्त कराने दावा पेश किया उस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा पटटों की प्रमाणित प्रति वादीगण को दी थी उसे दावे की पत्रावली मे पेश किया हुआ है जिन पटटो पर केवल सूण्डी देवी सरपंच के हस्ताक्षर है न उप सरपंच के न पदेन सचिव के हस्ताक्षर है। जिन पटटो पर वादीगण के द्वारा प्रदर्श डाले गये है जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 के द्वारा पटटे फर्जी जारी करवाये गये है जिन पटटो को निरस्त किया जावे। प्रतिवादनी संख्या 12 के द्वारा लाडा देवी के द्वारा बअनुवान लाडा देवी बनाम रामजीलाल वगैरा जिसका मुकदमा नम्बर 34/24/2014 स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र वादी संख्या 01 व वादी संख्या 07 व अन्य लोगो के विरुद पेश किया गया था जिस वाद पत्र में न्यायालय के द्वारा दो तनकी कायम की गई जो तनकी नम्बर 01 आया वादिया प्रतिवादीगण के विरुद इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र के



पैरा संख्या 01 में वर्णित विवादित जायदाद नजरी नक्शा मे बरंग सुर्ख दर्शित वाके ग्राम लालपुरा वादिया के कब्जे मालिकाना हक की रिहायशी जायदाद पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल ना करे वादिया के कुल उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की कोई रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे कोई कच्चा या पक्का निर्माण ना करे शकल मोका ना बदले बाज रहे। उक्त वाद पत्र का निर्णय श्रीमान न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.11.2025 को किया गया जिस निर्णय में दोनो तनकी लाडा देवी के विरुद्ध तय की गई व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की गई जिस से यह साबित होता है रमेश चन्द ने जो लाडा देवी के पक्ष मे विवादित जायदाद का पट्टा गैर कानूनी रूप से करया गया है जिस पर श्रीमान न्यायालय को गोर किया जाना चाहिए। जो सभी पट्टे प्रतिवादी संख्या 02 ने सार्वजनिक पद का उपयोग कर परिवार के सदस्यो को लाभ पहुंचाना कानून और प्रशासनिक पारदर्शिता के खिलाफ है। **माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीट ने Mahipal VS state of Rajasthan and others D.B.spl appl. Writ no 327/2026** मे ग्राम पंचायत भूमि आवंटन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले मे बड़ा फैसला सुनाते हुये स्पष्ट किया है कि यदि भूमि का आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है तो केवल कब्जा, निर्माण या बिजली कनेक्शन होने मात्र से उसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। माननीय होई कोर्ट ने इस मामले मे सरपंच द्वारा अपने ही रिश्तेदारी को जमीन आवंटन करने पर भी टिप्पणी करते हुये कहा कि यह मामला केवल तकनीकी त्रुटियो का नहीं बल्कि नेपोटिज्म (भाई भतीजावाद) और फेवरिटिज्म (पक्षपात) का स्पष्ट उदारण है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी और से गवाह डी डब्लू 1 अर्जुनलाल व डी डब्लू 02 रामनिवास की गवाही करवायी गई है जिसमे डी डब्लू 1 अर्जुनलाल जिरह मे कहता है कि पट्टा संख्या 26,27,28,30,31 पट्टे किसके के नाम है मुझे पता नहीं है पट्टा संख्या 29 पर मेरा कब्जा है मेरा पत्थर पडा हुआ है छप्पर ढहा दिया जयराम व रामजीलाल ने ढहा दिया व जिरह मे आगे कहता है कि यह बात सही है कि सभी पट्टो वाली भूमि पर पक्के मकान आज तक नहीं बने पहले मेरा छप्पर था जो ढहा दिया आज कुछ नहीं बना हुआ 15 साल पहले छप्पर ढहा दिया 15 साल से कोई घर छप्पर नहीं है केवल पत्थर पडे हुये है मेरे ध्यान नहीं है कि मैंने कोई स्वीकृति पंचायत से पक्के मकान बनाने के लिये ली हो रामजीलाल उपसरपंच रहा था राजसिंह सरपंच था मेने मकान स्वीकृति का आवेदन किया था रामजीलाल मेरे खिलाफ था इसलिए हमारे मकान की दरखास्त खारिज की थी उसकी अपील



हमने कोर्ट में की थी हमे आज तक भी मंजूरी नहीं मिली कोर्ट में केस चल रहा है व आगे जिरह मे कहता है पट्टा देते समय ग्राम सेवक कोन था और वार्ड पंच कोन था मुझे ध्यान नही है मुझे मेरा पट्टा 300 रूपये फीस जमाकर पट्टा लिया मेरे पट्टे की रजिस्ट्री मेने नही करायी। मुझे पता नही है कि पट्टे वाली भूमि को बेचने का अधिकार हमे है या नही है मेरे को नही पता जिनको पट्टे मिले थे उनमे से किस किस ने बेचान कर दिया मेरा पट्टा मेरे पास है मुझे पता नही है सरंपच ने पट्टो को अवैध बताया हो व डी डब्लू 02 रामनिवास जिरह मे कहता है कि पट्टा संख्या 26 लगायत 32 किसके के नाम है। मुझे पता नही है कब्जे वाली भूमि पर पत्थर पडे हुये है छप्पर वाली जयराम व रामजीलाल ने ढहा दिया जिस पर कोर्ट में केस हो गया दिशाओं के बारे मे नही समझता इसलिए मे नही बता सकता कि पट्टे वाली भूमि के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मे क्या स्थित है मैं नहीं बता सकता हु कि पट्टो की बाबत गांव वालो ने कोई शिकायत पंचायत मे की हो यह बात सही है कि पट्टा जारी करते समय सूण्डी देवी सरंपच थी व आगे जिरह मे कहता है पट्टे वाली भूमि पर छप्पर बने हुये थे आज मौके पर कोई छप्पर नही है केवल पत्थर पडे हुये है यह मुझे पता नही है कि प्रतिवादीगण को पट्टे वाली जमीन बेचने का अधिकार है या नही मुझे यह जानकारी नही है कि राजसिंह सरंपच ने पट्टो को अवैध बताया हो। उक्त बयानो के अलावा प्रतिवादीगण ने कोई गवाही नहीं करवाई प्रतिवादीगण ने सुण्डी देवी के बयान करवाये और ना ही ग्राम पंचायत की और से कोई गवाही करवाई गई। प्रतिवादीगण के पक्ष में बनाई गई तनकीयों को साबित नहीं कर पाये है व अपनी गवाही से यह भी सिद्ध नहीं कर पाये है कि प्रतिवादीगण का मौके पर कोई कब्जा हो जिस से यह साबित होता है प्रतिवादीगण का आज तक मौके पर कोई कब्जा नही है और प्रतिवादीगण को पट्टे जारी किये गये है वो गैर कानूनी रूप से जारी किये गये है जो सभी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण की और से पेश अपने गवाहो के बयानो के आधार पर अपने वादीगण के पक्ष मे जो तनकी कायम की गई है तनकी नम्बर 1 व 2 को वादीगण ने बखुबी साबित किया है। वादीगण की और कुल 8 गवाह पेश किये गये है जिनमे सभी गवाहो ने कहा प्रतिवादीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है प्रतिवादीगण को गलत व अवैध रूप से पट्टे जारी किये गये है व प्रतिवादीगण ने जो निर्माण स्वीकृति की बाबत जो प्रार्थना पत्र लगाया था वह ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया था वादीगण ने पी डब्लू 8 राजसिंह के रूप में ग्राम पंचायत में जो तत्कालीन सरंपच थे जिस बाबत तत्कालीन सरंपच राजसिंह



व उप सरपंच रामजीलाल के बयानों को अवलोकन करे व अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Mahipal VS state of Rajasthan and others D.B.spl appl. Writ no 327/2026** पेश किया गया।

5. प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर तर्क दिया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विहित काल के अवसान के पश्चात दायर किया गया दावा खारिज कर दिया जावेगा भले ही प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठायी नहीं गई हो। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने **Sr. Nagaraj (DEAD) Through Lrs. And Another Vs Rajmani And Others (SLP(C) No.-36 Of 2021** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि साक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि दावा परिसीमा अधिनियम के अनुसूची में विहित काल के अवसान के पश्चात दायर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह न्यायालय का यह दायित्व है कि वह उस दावे को खारिज फरमा दे भले ही प्रतिरक्षा के तौर पर ऐसी आपत्ति उठायी ही नहीं गई हो। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के उक्त प्रकरण में पेज नम्बर 24 के पैरा 20 में परिसीमा से सम्बन्धित कुछ न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया है जो दृष्टांत

निम्न प्रकार है— In V.M. Salgaocar And Bros. Vs Bord Of Trustees Of Port Of Mormugao And Another : The mandate of section 3 of the Limitation act is that it is the duty of the court to dismiss any suit instuted after the prescribed period of limitation irrespective of the fact that limitation has not been set up as a defence. If a suit is ex facie barred by the law of limitation, a court has no choice but to dismiss the same even if the defendant intentionally has not raised the plea of limitation.

Manindra Land & Building Corpn. Ltd. Vs Bhutnath Banerjee [(1964) 3 Scr 495: Air 1964 Sc 1336) Held (AIR para 9)-

Section 3 of limitation act enjoins a court to dismiss any suit instituted, appeal preferred and application made, after the period of limitation prescribed therefor by schedule | irrespective of the fact whether the opponent had set up the plea of limitation or not. It is the duty of the court not to proceed with application if it is made beyond the period of limitation prescribed. The court had no choice and if in construing the necessary provision of the limitation act or in determining which provision of the Limitation act applies, the subordinate court comes to an erroneous decision it is open to the court in revision to interfere with that conclusion as that conclusion led the court to assume or not to assume the jurisdiction to proceed with the determination of that matter. In case, where the pleadings are silent, then it becomes the duty of the court to ascertain from the evidence and the overall facts of the case, as pleaded by either party and to render a finding on limitation where the question of limitation is to be treated as question of law, since the court cannot



entertain frivolous or stale claims. It is also apropos to reiterate the settled position of law that a question of law can be raised at any stage. इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह बखूबी साबित हो जाता है कि कोई भी दावा परिसीमा अधिनियम की अनुसूची में विहित काल के अवसान के पश्चात दायर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह न्यायालय का दायित्व है कि वह ऐसा दावा खारिज फरमा दे। न्यायालय के पास ऐसे दावों को खारिज करने के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं होता है भले ही प्रतिवादी ने जानबूझकर प्रतिरक्षा के रूप में परिसीमा की आपत्ति उठायी ही नहीं हो और परिसीमा के संदर्भ में विवादक/तनकी बनी ही नहीं हो। क्योंकि हस्तगत प्रकरण पट्टा केन्सीलेशन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है और परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 59 के अनुसार दस्तावेज पट्टो को निरस्त/केन्सीलेशन करने की तथा अनुच्छेद 113 के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की मियाद अवधि पट्टो की जानकारी से शुरू होकर जानकारी से तीन साल तक रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पट्टे दिनांक 13.12.1999 में जारी किये गये थे जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से थी क्योंकि वादीगण के ग्वाह पीड 4 जो ग्राम लालपुरा का निवासी है, ने अपनी जिरह के दूसरे पेज की चौथी लाईन में कथन किया है कि पट्टा जारी होने के महिने बीस दिन बाद मालूम हुआ कि पट्टे जारी हो गए हैं। इस प्रकार बखूबी साबित है कि वादीगण व ग्राम लालपुरा के निवासियों को पट्टो जारी होने की जानकारी शुरू से थी। इसलिए वादीगण को उक्त दावा दिनांक 13.12.1999 से तीन साल के भीतर पेश करना चाहिए था। लेकिन वादीगण को उक्त पट्टो को केन्सील कराने का दावा पट्टा जारी करने के तीन साल के भीतर पेश नहीं किया। साथ ही वादीगण के ग्वाह पीड 3 जो ग्राम लालपुरा का निवासी है, की बात पर भी विश्वास कर लिया जावे तो भी ग्वाह पीड-3 ने अपनी जिरह के दूसरे पेज छठी लाईन में कथन किया है कि इन पट्टों का मालूम हमें साल दो साल बाद हुआ है। इस प्रकार पीड 3 के अनुसार ग्राम लालपुरा के निवासियों को दिनांक 13.12.1999 को जारी पट्टो की जानकारी साल दो साल बाद अर्थात् 2000-2001 में हो गई थी इस प्रकार दावा जानकारी से तीन साल के भीतर अर्थात् 2004 तक पेश करना चाहिए था लेकिन ग्राम लालपुरा के ग्रामवासियों को पट्टो की जानकारी होने के बावजूद भी परिसीमा अवधि/मियाद अवधि के भीतर दावा पेश नहीं किया। साथ ही स्वयं वादी संख्या चार की बात पर भी विश्वास कर लिया जावे तो भी वादी



संख्या चार जो गवाह पीड-6 है ने अपनी जिरह के दूसरे पेज की 16 वीं लाईन में कथन किया है कि पट्टों की जानकारी पट्टा जारी करने से 5 साल बाद हो गई थी। इस प्रकार वादी संख्या चार के अनुसार दिनांक 13.12.1999 को जारी पट्टों की जानकारी पांच साल बाद अर्थात् 2004 में हो गई थी इस प्रकार दावा जानकारी से तीन साल के भीतर अर्थात् 2007 तक पेश करना चाहिए था लेकिन वादीगण ने दावा जानकारी से तीन साल के भीतर पेश नहीं किया। इस प्रकार वादीगण के गवाहों की जिरह से यह बखूबी साबित हो गया है कि वादीगण ने दावा पट्टों की जानकारी से तीन साल के भीतर पेश न करके मियाद अवधि के बाहर दिनांक 18.02.2014 को पेश किया है। दूसरी ओर वादीगण को अपनी चीफ/हलफनामों में यह साबित करना था कि दावा किस प्रकार अन्दर मियाद पेश किया गया है। लेकिन वादीगण ने अपनी चीफ/हलफनामों में कही भी दावा अन्दर मियाद पेश करने का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण अपनी चीफ के माध्यम से भी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि दावा अन्दर मियाद पेश किया गया है। साथ ही जवाब दावे के जिम्मन नम्बर 11 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वादीगण का दावा मियाद बाहर पेश किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा पेश हलफनामों में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादीगण का दावा मियाद बाहर है तथा जिसके संदर्भ में प्रतिवादीगण की जिरह भी अकाट्य रही है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार चाहे प्रतिरक्षा में परिसीमा की बात उठायी ही नहीं हो चाहे परिसीमा अवधि बाबत विवाद्य क बनी ही नहीं हो तो भी यह न्यायालय का दायित्व है कि यदि साक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि दावा परिसीमा अवधि के बाहर पेश किया गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण स्वयं वादीगण की साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य से बखूबी साबित है कि वादीगण ने उक्त दावा परिसीमा अधिनियम की अनुसूची में विहित काल के अवसान के पश्चात न्यायालय में दिनांक 18.02.2014 को पेश किया है। वादीगण का दावा न केवल परिसीमा द्वारा वर्जित है बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार रेस जूडिकेटा के सिद्धान्तों से भी वर्जित है। इस संदर्भ में न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों पर केन्द्रित करना चाहूँगा – **Sulochana Amma Vs Narayanan (1994) 2 Scc 14: Air 1994 Sc 152.** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है The decree passed in injunction suit wherein issue regarding title of the party was directly and substantially in issue and decided and attained finality would operate as Res judicata in a subsequent suit based on title, where the same issue directly and substantially



arises between the parties. **Sajjadanashin Sayed Md. B.E.Edr.(D) By Lrs Vs Musa Dadabhai Ummer And Others (2000) 3 Scc 350** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है Once in a suit for injunction, title is in issue and decided, the said finding of title will operate as res judicata in a subsequent suit where title is in issue. **Randhir Singh Vs Satish Kumar & Ors (RFA No.-156/2017)-** में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि Once in a suit for injunction, title is in issue and decided, the said finding of title will operate as res judicata in a subsequent suit where title is in issue. इस प्रकार बखूबी स्पष्ट है कि पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में स्वामित्व की वैधता के सम्बन्ध में विवाद्यक कायम किये गये हो और उस मुकदमें में स्वामित्व की वैधता का निर्धारण करते हुए न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा निर्णित कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में बाद में अगर स्वामित्व की वैधता के संदर्भ में कोई पश्चातवर्ती दावा पेश किया जाता है तो ऐसा दावा सिविलि प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार रेस जुडिकेटा होने के आधार पर खारिज फरमा दिया जावेगा। क्योंकि हस्तगत प्रकरण में तनकी संख्या 1 बनायी गयी है क्योंकि पूर्व में प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के दावे पेश किये थे उक्त सभी तनकी भी पट्टों के अवैध व गैर कानूनी होने के संदर्भ में बनी थी। जिस तनकी का अन्तिम रूप से निपटारा करते हुए न्यायालय श्रीमान ने वादीगण का स्थायी निषेधाज्ञा का दावा डिक्री फरमाया गया था। इस प्रकार बखूबी साबित है कि पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणों में पट्टों की वैधता के संदर्भ में तनकी कायम किये गये थे जिस तनकी का निर्धारण करते हुए पट्टों को वैध मानते हुए स्थायी निषेधाज्ञा के दावे डिक्री किये गये थे। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती हस्तगत वाद में पट्टों की वैधता के संदर्भ में बनी तनकी संख्या 1 का निस्तारण न्यायालय श्रीमान करने में समर्थ नहीं है। वादीगण का पश्चातवर्ती दावा सिविलि प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार रेस जुडिकेटा होने के आधार पर खारिज फरमाये जाने योग्य है। तनकी संख्या एक व दो को साबित करने के लिए वादीगण को यह साबित करना होगा कि पट्टें अवैध एवं कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध जारी किये गए हैं तथा उक्त सभी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य हैं लेकिन वादीगण ने अपने दावे में पट्टों के अवैध व गैर कानूनी होने के जो आधार बताये हैं उनको वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं क्योंकि वादीगण ने पट्टे निरस्त करने का पहला आधार अपने दावे में यह बताया है कि विवादित पट्टों की भूमी सार्वजनिक उपयोग की भूमी है जो चारागाह भूमी है एवं वादी मोहनलाल के खेत में आने जाने हेतु रास्ते एवं स्कूल के खेल मैदान की



जमीन है एवं पशुओं के चरने उठने बैठने के काम आती है। लेकिन उक्त तथ्य वादीगण ने मिथ्या व काल्पनिक रूप से अपने दावे व हल्फनामों में उल्लेखित किया है, क्योंकि वादीगण ने एक भी दस्तावेज न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश नहीं किया है जो यह साबित करता हो कि विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि हो जो चारागाह भूमि हो व रास्ते की भूमि हो व खेल मैदान की भूमि हो तथा स्वयं वादीगण के साक्ष्य से यह तथ्य बखूबी साबित हो जायेगा कि पट्टेशुद्धा भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि अर्थात् चारागाह भूमि, रास्ते की भूमि व खेल मैदान की भूमि न होकर आबादी भूमि है। क्योंकि वादीगण के गवाह पीड-1 ने अपनी जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि मेरी आराजी के तरफ पश्चिम को विवादित स्थल है यह बात सही है कि विवादित स्थल व मेरी आराजी के बीच में पत्थरों का पारा लगा हुआ है यह बात सही है कि मेरी आराजी खसरा नम्बर 711 के पारा के बाद खसरा नम्बर 710 स्थिति है जो मेरी आराजी के पश्चिम में स्थित है साथ ही वादीगण के गवाह पीड 2 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि खसरा नम्बर 711 कृषि भूमि है व खसरा नम्बर 710 आबादी भूमि है। साथ ही वादीगण के गवाह पीड 4 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि विवादित जगह के खसरा नम्बर 710 है यह बात भी सही है कि यह जमीन आबादी दर्ज है इस विवादित जमीन में सात पट्टे जारी हुए थे सरपंच आबादी भूमि का पट्टा जारी कर सकता है। साथ ही वादीगण के गवाह पीड 5 ने अपनी जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि खसरा नम्बर 711 के पश्चिम में विवादित खसरा नम्बर 710 स्थित है। यह बात सही है कि खसरा नम्बर 710 आबादी है। साथ ही वादीगण पीड 6 (वादी संख्या 4) ने अपनी जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि खसरा नम्बर 711 के पश्चिम में विवादित भूखण्डों की भूमि खसरा नम्बर 710 है जो आबादी भूमि है। साथ ही वादीगण के गवाह पीड 7 ने अपनी जिरह के दूसरे पेज के शुरू में कथन किया है कि मैंने सुना है कि खसरा नम्बर 710 आबादी में पडता है। खसरा नम्बर 710 रामस्वरूप वगैरा की खातेदारी के पश्चिम को पडता है। साथ ही वादीगण पीड 8 ने अपनी जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि विवादित स्थल मोहनलाल वगैरा की खातेदारी आराजी के पश्चिम में है। यह कहना सही है कि विवादित स्थल खसरा नम्बर 710 आबादी भूमि है तथा आगे जिरह की दसवीं लाईन से कथन किया है कि यह कहना सही है कि खसरा नम्बर 710 के साबिक (पुराने) नम्बर 666 हैं। इस प्रकार वादीगण की जिरह से भी



बखूबी साबित हो जाता है कि पट्टे सार्वजनिक उपयोग की भूमी, चारागाह भूमी, रास्ते की भूमी व खेल मैदान की भूमी में न दिया जाकर आबादी भूमी खसरा नम्बर 666 वर्तमान नम्बर 710 में दिया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण पट्टे के अवैध गैर कानूनी होने के उक्त कारण को साबित करने में असफल रहे हैं। वादीगण ने पट्टे निरस्त करने का दूसरा आधार अपने दावे में यह बताया है कि पट्टेधारियों का पट्टेशुद्धा भूमी पर आज तक मौके पर कब्जा नहीं है। विधि का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी स्वयं में कब्जे का प्रमाण होती है। अर्थात् यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जाती है। तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जिस व्यक्ति के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी है वही कब्जे में है। क्योंकि पूर्व में प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय श्रीमान के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के दावे पेश किये थे जिन दावों में प्रतिवादी का कब्जा मानते हुए न्यायालय श्रीमान ने प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय व डिकी पारित की गई थी जिन निर्णयों व डिकियों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी 5, प्रदर्श डी 6, प्रदर्श डी 7, प्रदर्श डी 8, प्रदर्श डी 9, प्रदर्श डी 10 है। इस प्रकार उक्त सभी निर्णय न्यायालय ने प्रतिवादीगण का पट्टेशुद्धा भूखण्डों पर कब्जा साबित होने के पश्चात ही पारित किये थे। इस प्रकार उक्त सभी निर्णय व डिकी स्वयं में कब्जे के प्रमाण है। दूसरी ओर स्वयं वादी संख्या 4 श्योनाथ पुत्र लादू पीड 6 ने अपनी जिरह के दूसरे पेज पर नीचे से पांचवी लाईन में कथन किया है कि पूरे गांव वालों ने इनके (प्रतिवादीगण) के पत्थरों को उठा कर फेंक दिये थे इस प्रकार यह बखूबी साबित है कि विवादित पट्टे वाली जगह पर प्रतिवादीगण का कब्जा मौजूद है। जिस पर उनके पत्थर पड़े हुए थे जिनको गांव वालो ने उठा कर फेकना वादी ने स्वयं ने स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी संख्या 4 ने स्वयं ने प्रतिवादीगण का पट्टेशुद्धा भूखण्डों पर कब्जा माना है। साथ ही प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य चीफ हल्फनामों से भी बखूबी साबित किया है कि विवादित जगह पर प्रतिवादीगण का कब्जा मौजूद है। साथ ही जिरह से भी अपना कब्जा होना साबित किया है। क्योंकि ग्वाह डीड 1 ने अपनी जिरह में चौथे पेज की 10 लाईन से कथन किया है। कि यह कहना गलत है कि हम सभी पट्टेधारियों को कब्जा नहीं करने दिया हो जबकि हमारा तो कब्जा है। साथ ही ग्वाह डीड 1 ने अपनी जिरह में दूसरे पेज की 12 लाईन से कथन किया है कि यह कहना सही है कि पहले पट्टे वाली भूमी पर छप्पर बने हुए थे आज मौके पर कोई छप्पर नहीं है केवल पत्थर पड़े है साथ ही ग्वाह ने जिरह के तीसरे



पेज के शुरू में कथन किया है कि यह कहना गलत है की पट्टेधारियों का कब्जा मौके पर नहीं हो। इस प्रकार स्वयं वादीगण तथा प्रतिवादीगण के ग्वाहों से बखूबी साबित हो जाता है कि मौके पर पट्टेशुद्धा भूमि पर पट्टेधारियों का कब्जा मौजूद है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न निर्णय में कब्जे के संदर्भ में महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किया है – The Hon'ble Apex Court had also discussed this principle in case cited as **Indore Development Authority v. Manoharlal, (2020) 8 SCC 129**, wherein it was observed as under:-

of the thing, which is possessed. If the land is not capable of any use, mere non-user "The concept of possession is complex one. It comprises the right to possess and to exclude others, essential is animus possidendi. Possession depends upon the character of it does not lead to the inference that the owner is not in possession. The established principle is that the possession follows title. Possession comprises of the control over the property. Corpus and animus are both necessary and have to co-exist. A person with title is considered to be in actual possession. The other person is a trespasser. The possession in law follows the right to possess," इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यदि भूमि किसी भी उपयोग के योग्य नहीं है तो केवल उसका उपयोग न करने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि स्वामी कब्जे में नहीं है। क्योंकि यह विधि का सिद्धान्त है कि कब्जा स्वामित्व का अनुसरण करता है। कब्जे में सम्पत्ति का नियंत्रण शामिल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित जगह के उपयोग नहीं करने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रतिवादीगण विवादित जगह के कब्जे में नहीं है। प्रतिवादीगण का विवादित सम्पत्ति पर हमेशा नियंत्रण रहा है और वे विवादित सम्पत्ति के स्वामी है। इसलिए विवादित जगह का कब्जा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिवादीगण में निहित है। इस प्रकार वादीगण पट्टों को निरस्त करने के उक्त आधार को भी साबित करने में असमर्थ रहे है। वादीगण ने पट्टे निरस्त करने का तीसरा आधार अपने दावे में यह बताया है कि पंचायत अधिनियम की धारा 158(3) के अनुसार अगर पट्टा जारी कर दिया जाता है तो पट्टेधारियों को आवंटितशुदा भूखण्ड को दीगर लोगो को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने पट्टेशुद्धा भूखण्ड को प्रतिवादी संख्या 4 को तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने पट्टेशुद्धा भूखण्ड को प्रतिवादी संख्या 7 को तथा प्रतिवादी संख्या 11 ने अपने पट्टेशुद्धा भूखण्ड को प्रतिवादी संख्या 12 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया है। जिनको बेचने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इस बिना पर भी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त पट्टे



पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार जारी किये गए है। इसलिए 158. कमजोर वर्गों को भूमि का आवंटन— (1) पंचायत गांव की आबादी अनुसूचित जाति, सफाईकर्मी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गांव के कारीगर, मजदूरी पर निर्भर भूमिहीन व्यक्ति, आईआरडीपी चयनित परिवार, विकलांग, घुमंतू जनजाति, गाडियां लोहार जिनके पास मकान नहीं है और बाढ़ पीड़ितों को जिनके मकान बह गए है या मकान बाढ़ के कारण भविष्य में रहने के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं, रियायती दर पर 1300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि आवंटित कर सकती है। (2) ऐसे आवंटियों से ली जाने वाली दरें निम्नानुसार होंगी। (ए) 1000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में (1991 की जनगणना) रुपये 2 प्रति वर्ग मीटर.(बी) 1001 से 2000 तक की जनसंख्या वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर (सी) 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में (1991 की जनगणना) रुपये 10 प्रति वर्ग मीटर बशर्ते कि राज्य सरकार ऐसी भूमि किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। (3) निःशुल्क आवंटित आबादी भूमि हस्तांतरणीय नहीं होगी। ऐसे सभी पट्टों के मुख पर स्पष्ट अक्षरों में बिक्री के लिए नहीं की मुहर लगाई जाएगी। यदि कोई आवंटी ऐसे स्थल/मकान को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है या बेचता है, तो आवंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा, स्वामित्व उस पर पड़े निर्माण या सामग्री सहित पंचायत में निहित हो जाएगा और हस्तांतरित व्यक्ति को ऐसी आबादी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के रूप में बेदखल कर दिया जाएगा। तथापि, पंचायत बैठक में प्रस्ताव द्वारा, अनुकंपा के आधार पर बाजार मूल्य पर ऐसे अतिचारी को बातचीत के माध्यम से भूमि आवंटित करने का निर्णय ले सकती है। (5) आवंटी को भविष्य में किसी भी प्रकार के आवंटन से वंचित कर दिया जाएगा। (6) उप-नियम (3), (4) और (5) में निहित प्रावधान पंचायत क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि को आवंटित दुकान स्थलों के लिए भी लागू होंगे। (7) बाढ़ पीड़ितों को अन्य स्थान/स्थानों पर आवास स्थल आवंटित करने के लिए, संबंधित पंचायत ऐसे व्यक्तियों से एक वचनबद्धता के साथ आवेदन आमंत्रित करेगी कि अन्य स्थान/स्थानों पर आवास स्थल आवंटित किए जाने की स्थिति में, बाढ़ में बह गए आवास स्थल, सामग्री सहित, सभी भारों से मुक्त होकर संबंधित पंचायत में निहित रहेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियम 158 के अनुसार पट्टे जारी किये जाते है वो दो प्रकार से जारी किये जाते है सशुल्क और निशुल्क। सशुल्क पट्टा अगर पट्टा नियम 158 के खण्ड (2) के अनुसार शुल्क राशि प्राप्त कर जारी किये जाते है



तो ऐसे पट्टे पर यह मोहर अंकित नहीं होती है कि पट्टा बिकी के लिए नहीं है और ऐसे पट्टे हस्तान्तरण योग्य होते हैं। जिनके अन्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा ऐसा हस्तान्तरण वैध होता है। निशुल्क पट्टा निशुल्क पट्टे नियम 158 के खण्ड (3) के अनुसार यदि किसी आबादी भूमि का पट्टा निशुल्क दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस पट्टे पर यह मोहर अंकित की जायेगी की उक्त पट्टा बिकी के लिए नहीं है और यदि ऐसे निशुल्क आबादी भूमि के पट्टे को हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और आबादी भूमि पंचायत में निहित हो जायेगी। क्योंकि उक्त सभी विवादित पट्टे पंचायत राज नियम के नियम 158 (2) के अनुसार सशुल्क दिये गये थे। जिसके लिए नियम 158 (2) के खण्ड ए के अनुसार प्रत्येक पट्टेधारियों ने ग्राम पंचायत को 300 रुपये शुल्क के अदा किये थे जिनकी रसीद प्रदर्श डी 12, प्रदर्श डी 14, प्रदर्श डी 17, प्रदर्श डी 19, प्रदर्श डी 21, प्रदर्श डी 23 ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा पट्टेधारियों के पक्ष में जारी की गई थी। जिससे बखूबी साबित हो जाता है कि उक्त पट्टे सशुल्क प्राप्त किये थे साथ ही पट्टे पर गौर फरमायेंगे तो उस पर बिकी के लिए नहीं की कोई मोहर भी अंकित नहीं है। इस प्रकार पंचायत राज नियम के अनुसार पट्टेधारियों को पट्टेशुद्धा भूखण्ड को अंतरित करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त था। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3, 6 व 11 के द्वारा किया गया अन्तरण वैध था। इस प्रकार वादीगण पट्टे को निरस्त करने के उक्त आधार को भी साबित करने में असफल रहा है। वादीगण ने पट्टे निरस्त करने का चोथा आधार अपने दावे में यह बताया है कि पट्टेधारियों ने अपनी पट्टेशुद्धा भूमि पर निर्माण करने की स्वीकृति ग्राम पंचायत से मांगी तो ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण करने के पश्चात पट्टेधारियों का कब्जा नहीं पाने से निर्माण स्वीकृति का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया इस आधार पर पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श 5 मौका पर्चा दिनांक 20.02.2013 ग्राम पंचायत लालपुरा की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-6 प्रमाणित प्रति मौका पर्चा दिनांक 20.03.2013, प्रदर्श-7 ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा अन्तिम निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की है उक्त सभी दस्तावेज राजैनेतिक प्रभाव में आकर सरपंच व उप सरपंच ने मनमाने तरीके गैरकानूनी व अवैध तरीके से बनाये हैं जो स्वयं सरपंच व उप सरपंच के बयानों से स्पष्ट हो जायेगा। क्योंकि वादीगण के गवाह पीड-5 रामजीलाल जो स्वयं उप सरपंच है जिसने स्वयं ने प्रदर्श-5 तथा प्रदर्श-6 की रिपोर्ट अपनी कलम से तैयार की है जिसने अपनी जिरह के दूसरे पेज के शुरू में कथन किया है कि मैंने पट्टे वगैरा



नहीं देखे है और मौके की स्थिति पर मैने पट्टो की जगह नही देखी है। इस प्रकार यह बखूबी साबित है कि रामजीलाल उप सरपंच ने बिना पट्टे देखे व बिना पट्टो की जगह को मौके पर देखे अपनी मनमर्जी से प्रदर्श-5 तथा प्रदर्श-6 की रिपोर्ट तैयार की है। जिससे बखूबी साबित है कि उक्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कपटपूर्वक घर बैठकर तैयार की गयी है। जो की विधि की नजर में अवैध रिपोर्ट है। साथ ही सरपंच का उक्त निर्णय प्रदर्श-7 पर न्यायालय श्रीमान गौर फरमायेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि उक्त निर्णय में कही भी पट्टे अवैध होने, गैर कानूनी होने या विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जारी किये जाने के संदर्भ में उल्लेखित नही है और ना ही जांच रिपोर्टों में ऐसा पाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी सरपंच ने गैर कानूनी तरीके से वैध पट्टो धारको को राजनैतिक प्रभाव में आकर निर्माण स्वीकृति नहीं देने का निर्णय पारित किया है जो निर्णय गैर कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है। साथ ही स्वयं सरपंच राजसिंह पीड-8 ने अपनी जिरह के चौथे पेज की दूसरी लाइन में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मैने कोई गैर कानूनी प्रक्रिया नही अपनायी हो। जिससे बखूबी साबित है कि स्वयं सरपंच यह स्वीकार कर रहा है कि उसने गैर कानूनी प्रक्रिया अपनायी है साथ ही वादीगण गवाह पीड-8 राजसिंह जो स्वयं सरपंच था जिसने स्वयं ने प्रदर्श-7 निर्णय पारित किया है। जिसने स्वयं ने अपनी जिरह के दूसरे पेज की दसवी लाइन से कथन किया है कि यह कहना सही है कि पंचायत राज अधिनियम में जो पट्टा जारी किया जाता है वो पंचायत का फैसला माना जाता है। यह कहना सही है कि पंचायत के फैसले की अपील पंचायत समिति में होती है साथ ही आगे 16 वी लाइन में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पंचायत का सरपंच अपने फैसले का नही बदल सकता। यह कहना सही है कि मैने पंचायत समिति में कोई अपील पेश नही की। इस प्रकार सरपंच के उपरोक्त बयानों से बखूबी साबित है कि वह पूर्व के सरपंच सूण्डी देवी के पट्टे जारी करने के फैसले पर किसी भी प्रकार का निर्णय करने में समर्थ नही था अगर उसे पट्टो के बारे में कोई ऐतराज था या पट्टा धारक निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के हकदार नहीं थे तो उसे पंचायत राज नियम 1996 के नियम 166 के अनुसार पंचायत समिति में अपील पेश करनी चाहिए थी। जो स्वयं सरपंच ने अपनी जिरह में उक्त तथ्यों को स्वीकार किया है। लेकिन इसके बावजूद भी सरपंच सभी तथ्यों से भली भांति परिचित होते हुए भी पट्टे जारी करने के फैसले की अपील पेश न करके स्वयं ने ही गैर कानूनी तरीके से व राजनैतिक प्रभाव में आकर ग्राम पंचायत के



फैसले पर निर्णय पारित कर दिया। जो निर्णय अपने आप में एक अवैध निर्णय है। दूसरी ओर विधि का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने तरीके से निर्माण स्वीकृति नहीं देना पट्टे केन्सीलेशन का आधार नहीं होता है। यदि पट्टा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वैध तरीके से जारी किया गया हो। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के वैध होने के लिए उसमें निम्न बातों का होना आवश्यक है – 1. पट्टा आबादी भूमी का होना चाहिए और वह 150 वर्ग गज तक का होना चाहिए क्योंकि प्रमाणित प्रतियां पट्टा के शुरू में गौर फरमायेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि पट्टा आबादी खसरा नम्बर 666 में जारी किया गया है। जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 710 है और प्रदर्श डी-2 जमाबन्दी में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि खसरा नम्बर 710 आबादी भूमी है तथा पट्टे के पिछे के पेज पर स्पष्ट उल्लेख है कि पट्टा 150 वर्ग गज का दिया गया है। साथ ही स्वयं वादीगण की साक्ष्य से भी बखूबी साबित हो जाता है कि पट्टा खसरा नम्बर 710 आबादी भूमी के जारी किये गये है। जिसका उल्लेख लिखित बहस के जिम्मन नम्बर 8 के उपजिम्मन नम्बर क में किया जा चुका है। पट्टा नियम 158 के खण्ड (1) में वर्णित व्यक्तियों में से किसी को दिया जाना चाहिए क्योंकि पट्टे प्रतिवादी संख्या तीन, पांच, छः, आठ, नो, दस व ग्यारह के पक्ष में जारी किये गये है। इस प्रकार वादीगण ने स्वयं ने दावे के टाईटल में प्रतिवादी संख्या तीन, पांच, छः, आठ, नो, दस व ग्यारह की जाति बलाई बताई है। जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। साथ ही वादीगण के गवाह पीड-1 ने अपनी जिरह के तीसरे पेज की आठवी लाईन में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रतिवादी संख्या तीन लगायत 12 में से कुछ बलाई व कुछ मीना जाती के है। इस प्रकार स्पष्ट है जिन व्यक्तियों के पक्ष में पट्टे जारी किये गये है वो सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति है और नियम 158 (1) के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जा सकता है। 3. पट्टा नियम 158 (2) के अनुसार शुल्क अंदा करके जारी किया गया हो उक्त पट्टे जारी करते समय नियम 158 (2) के खण्ड ए के अनुसार पट्टाधारको ने प्रत्येक पट्टे के लिए शुल्क राशि 300 रुपये जमा करवाये थे जिसकी रसीद ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा जारी की गई है। जिन रसीदों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-12, प्रदर्श डी-14, प्रदर्श डी-17, प्रदर्श डी-19, प्रदर्श डी-21, प्रदर्श डी-23, प्रतिवादीगण ने पेश की है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से बखूबी साबित हो जाता है कि उक्त पट्टे कोरम के प्रस्ताव संख्या 6 में लिये गये कोरम के निर्णय, जो प्रदर्श डी 24 है, के आधार पर नियम



158 के अनुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया है तथा साथ ही उक्त पट्टे नियम 158 के उपबन्धों के अनुसार जारी किये गये है। जो पूरी तरह से एक वैध दस्तावेज है। साथ ही वादीगण ने यह कही भी नहीं बताया कि उक्त पट्टे विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जारी नहीं किये गये है। जिससे भी बखूबी साबित है कि उक्त सभी पट्टे वैध है। वादीगण ने पट्टे निरस्त करने का पांचवा आधार अपने दावे में यह बताया है कि सभी पट्टे अनरजिस्टर्ड हैं। क्योंकि 99 रुपये से अधिक कीमत के पट्टे होने पर उनको रजिस्टर्ड कराया जाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(2) (vii) के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम व नियमों के अधीन जारी किये गए पट्टे का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। पंचायत द्वारा जारी पट्टे बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैध व साक्ष्य में ग्राह्य होते है। और ऐसा सिद्धान्त राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकरणों में प्रतिपादित किया है –**Nand Singh & Ors. Vs Mangal Singh & Ors. (S.B. Civil Second Appeal No 68/2013)** के प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि As regards the Patta is concerned, The same was issued under the Rajasthan panchayat act and the Rules made thereunder which is a grant of an immovable property by a Government and no registration is required under section 17(2)(vii) of the Registration act, 1908 and is admissibe in evidence. **Legal Representatives Of Jasraj Vs Dhingarmal. (S.B. Civil Revision Petition No 68/1989)** के प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि Patta was issued under the Rajasthan panchayat act and the Rules. Such patta did not required registration under the Registration act, 1908. इस प्रकार स्पष्ट हो गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता है और ऐसे पट्टे बिना रजिस्ट्रेशन के वैध होते है और साक्ष्य में ग्राह्य होते है। वादीगण ने पट्टे निरस्त करने का छठा आधार आधार पट्टो पर ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं होना बताया है राजस्थान पंचायत राज नियम 167(2) के तहत सचिव के हस्ताक्षर पट्टे पर आवश्यक है लेकिन उक्त ऐतराज वादीगण ने गलत तरीके से उठाया है। क्योंकि प्रमाणित प्रति पट्टे के पीछे के पेज पर सरपंच सूण्डी देवी के साथ साथ ग्राम सेवक पदेन सचिव रामदयाल की मोहर व हस्ताक्षर मौजूद है। इस प्रकार प्रतिवादीगण पट्टे के अवैध/गैर कानूनी होने के उक्त कारण को साबित करने में असफल रहा है। तनकी संख्या तीन को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर आया है जिसमें प्रतिवादीगण को साबित करना था कि पट्टे खसरा नम्बर 710 में जारी किये गये है। जिस तथ्य को न केवल प्रतिवादीगण बल्कि वादीगण ने भी



अपनी जिरह से बखूबी साबित किया है कि पट्टे खसरा नम्बर 710 में जारी किये गये हैं। जिसके पुराने नम्बर 666 है। जिसके संदर्भ में पूर्व में बहस के जिम्मन नम्बर 8 के उप जिम्मन नम्बर क में उल्लेख किया जा चुका है।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 31.08.2016 को विवाद्यक कायम किया गया :-

1. आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की इस्करार हक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि ग्राम पंचायत लालपुरा की पूर्व सरपंच सूण्डी देवी द्वारा जारी किए गए पट्टे मुन्दर्जे वादपत्र नजरी नक्शा बरंग सुर्ख, पट्टा संख्या 26 लगायत 32 तारीख दायरी 29.10.1999 पट्टा जारी करने की दिनांक 13.12.1999 पट्टों में दर्ज भूमि बनपत पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 15 गज उत्तर दक्षिण दोनों सिरे 10 गज के जारी किए गए हैं, सभी सार्वजनिक उपयोग की भूमि बाबत जारी किये गए हैं जो सभी पट्टे अवैध एवं कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध जारी किए गए हैं तथा उक्त सभी पट्टे निरस्त किए जाने योग्य हैं ?

—वादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण, उक्त पट्टों के आधार पर सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर जबरन कब्जा कर कोई निर्माण कार्य ना करें, उक्त गलत पट्टों के आधार पर सार्वजनिक उपयोग की भूमि को दीगर लोगों को रहन बय, मुंतकिल ना करें, उक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि रहने दे तथा शकल मौका भूमि ना बदले, बाज रहे ?

—वादी

3. आया विवादित पट्टे खसरा नंबर 710 ग्राम लालपुरा जारी किए गए हैं जिसमें वादी ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर वादी बतौर अतिक्रमी काबिज है ?

—प्रतिवादी

4. आया मालियत दावा दो लाख रूपये होने से वादी द्वारा समुचित कोर्ट फीस अदा नहीं की गई है ?

—प्रतिवादी

5. आया वादी द्वारा धारा 109 पंचायत अधिनियम के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जिसके अभाव में वादी का वाद चलने



योग्य नहीं है ?

—प्रतिवादी

6. अनुतोष।

7. वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 मोहनलाल, पी0ड0 2 जयराम, पी0ड0 3 शिवराम, पी0ड0 4 कैलाश, पी0ड0 5 रामजीलाल, पी0ड0 6 शिवनाथ, पी0ड0 7 रामप्रताप, पी0ड0 8 राजसिंह को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नजरी नक्शा, प्रदर्श 2 नोटिस धारा 109 पंचायत अधिनियम, प्रदर्श 3 रसीद, प्रदर्श 4 जवाब ग्राम पंचायत लालपुरा, प्रदर्श 5 मौका पर्चा दिनांक 20.02.2013 ग्राम पंचायत लालपुरा की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 6 मौका पर्चा दिनांक 20.03.2013, प्रदर्श 7 ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 8 पट्टा संख्या 26 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 9 पट्टा संख्या 27 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 10 पट्टा संख्या 28 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 11 पट्टा संख्या 29 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 12 पट्टा संख्या 30 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 13 पट्टा संख्या 31 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 14 पट्टा संख्या 32 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 15 आदेशिका उनवान छोटी देवी बनाम रामजीलाल की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 16 कमिश्नर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 17 नोटिस, नजरी नक्शा, प्रदर्श 18 खुलासा रिपोर्ट, प्रदर्श 19 अखबार सायं की प्रति, प्रदर्श 20 श्रीराम बनाम रामजीलाल उनवानी प्रकीरण की कश्नर रिपोर्ट मय नक्शा व नोटिस, प्रदर्श 21 अर्जुन बनाम रामजीलाल प्रकरण की कमिश्नर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, खुलासा रिपोर्ट, नजरी नक्शा व नोटिस, प्रदर्श 22 तोताराम बनाम रामजीलाल प्रकरण में नोटिस, खुलासा रिपोर्ट व नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 23 लाडा देवी बनाम रामजीलाल उनवानी प्रकरण की नजरी नक्शा, खुलासा रिपोर्ट व नोटिस की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 24 बच्ची देवी बनाम रामजीलाल उनवानी प्रकरण की कमिश्नर रिपोर्ट खुलासा रिपोर्ट मय नक्शा नोटिस, प्रदर्श 25 गल्ला देवी बनाम रामजीलाल प्रकरण की कमिश्नर रिपोर्ट मय नक्शा व रिपोर्ट पेश कर प्रदर्शित करवाया। प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डी0ड0 1 अर्जुनलाल, डी0ड0 2 रामनिवास को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 710 प्रमाणित प्रति, प्रदर्श डी 2 जमाबंदी खसरा नंबर 710 संवत् 2075 से 78, प्रदर्श डी 3 जमाबंदी खसरा नंबर 711 संवत् 2075 से 78, प्रदर्श डी 4 जमाबंदी खाता नंबर 1 संवत् 2075 से 78, प्रदर्श डी 5 प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय



मय डिक्री बच्ची बनाम रामजीलाल न्यायालय सिविल न्यायाधीश थानागाजी, प्रदर्श डी 6 डिक्री व निर्णय दिनांक 26.09.2024 उनवान तोताराम बनाम रामजीलाल वगैरा, प्रदर्श डी 7 निर्णय मय डिक्री दिनांक 26.09.2024 छोटी देवी बनाम रामजीलाल, प्रदर्श डी 8 निर्णय मय डिक्री श्रीराम बनाम रामीलाल, प्रदर्श डी 9 निर्णय मय डिक्री गल्ला बाम रामजीलाल, प्रदर्श डी 10 निर्णय मय डिक्री अर्जुन बनाम रामजीलाल दिनांक 26.09.2024, प्रदर्श डी 11 प्रमाणित प्रति पट्टा संख्या 26, प्रदर्श डी 12 रसीद संख्या 26 प्रमाणित प्रति, प्रदर्श डी 13 प्रमाणित प्रति पट्टा संख्या 27, प्रदर्श डी 14 रसीद ग्राम पंचायत लालपुरा, प्रदर्श डी 15 प्रमाणित प्रति पट्टा संख्या 28, प्रदर्श डी 16 प्रमाणित प्रति पट्टा संख्या 29, प्रदर्श डी 17 रसीद ग्राम पंचायत लालपुरा, प्रदर्श डी 18 प्रमाणित प्रति पट्टा संख्या 30, प्रदर्श डी 19 रसीद संख्या 24, प्रदर्श डी 20 पट्टा संख्या 31 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श डी 21 रसीद ग्राम पंचायत लालपुरा, प्रदर्श डी 22 पट्टा संख्या 32 प्रमाणित प्रति, प्रदर्श डी 23 रसीद संख्या 28 ग्राम पंचायत लालपुरा, प्रदर्श डी 24 पंचायत की बैटक का विवरण रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 6 की प्रमाणित प्रति पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

8. बहस अंतिम सुनी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। वाद में कायम किए गए विवादकों के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष बिंदुवार निम्न प्रकार है:—

9. **विवादक संख्या 1 व 2**

1. आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की इस्तकरार हक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि ग्राम पंचायत लालपुरा की पूर्व सरपंच सूण्डी देवी द्वारा जारी किए गए पट्टे मुन्दर्जे वादपत्र नजरी नक्शा बरंग सुर्ख, पट्टा संख्या 26 लगायत 32 तारीख दायरी 29.10.1999 पट्टा जारी करने की दिनांक 13.12.1999 पट्टों में दर्ज भूमि बनपत पूर्व पश्चिम दोनों सिरे 15 गज उत्तर दक्षिण दोनों सिरे 10 गज के जारी किए गए हैं, सभी सार्वजनिक उपयोग की भूमि बाबत जारी किये गए हैं जो सभी पट्टे अवैध एवं कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध जारी किए गए हैं तथा उक्त सभी पट्टे निरस्त किए जाने योग्य हैं ?

2. आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण, उक्त पट्टों के आधार पर



सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर जबरन कब्जा कर कोई निर्माण कार्य ना करें, उक्त गलत पट्टों के आधार पर सार्वजनिक उपयोग की भूमि को दीगर लोगों को रहन बय, मुंतकिल ना करें, उक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि रहने दे तथा शकल मौका भूमि ना बदले, बाज रहे ?

10. उक्त दोनों विवादक एक दूसरे से संबंधित होने के कारण दोनों विवादकों का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनर्वाक्ति नहीं हो। उक्त दोनों विवादकों को साबित करने का भार वादीगण पर है। उक्त विवादकों के संबंध में वादीगण के अधिवक्ता अपने वाद पत्र में कथन रहा है कि ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में मुताबिक सीमा मौका ग्राम लालपुरा के लोगों की एवं वादीगण की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि स्थित चली आती है। जिस सार्वजनिक भूमि में ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा दिनांक 13.12.1999 को पट्टा संख्या 26 लगायत 32 के जारी किये गये थे। पैरा संख्या 1 में वर्णित विवादित पट्टों की भूमि ग्राम लालपुरा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि में जारी किये गये हैं। विवादित स्थल के पश्चिम में सीसी रोड एवं पूर्व में वादी मोहनलाल की आराजी एवं उत्तर में खाली जमीन एवं दक्षिण में खाली जमीन है जिसके बीच में विवादित पट्टों की भूमि है जो चारागाह की भूमि है एवं आने जाने हेतु रास्ते एवं स्कूल के खेल मैदान की जमीन है एवं पशुओं के चरने उठने बैठने के काम में आती है जो ग्रामवासियों एवं वादीगण के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है जिन विवादित पट्टों की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 का कभी कब्जा नहीं रहा, ना आज मौके पर है, ना काबिज रहकर उपयोग उपभोग किया है। विवादित पट्टों के मालिक पट्टों के आधार पर पक्का निर्माण करने की मंजूरी ग्राम पंचायत से चाही थी, परन्तु पंचायत ने मौका देखा और मौका रिपोर्ट से पट्टे वाली भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं पाया। खाली पडी जमीन है जिस पर ग्राम पंचायत प्रतिवादी संख्या 1 ने मंजूरी नहीं दी और प्रतिवादीगण द्वारा पेश मंजूरी का प्रार्थना पत्र खाजिर फरमा दिया गया जो पट्टे तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा जारी किये गये हैं वो सभी पट्टे अपने मिलने वालों लोगों को लाभ पहुंचाने की नियत से चारागाह भूमि में जारी किये हैं। पट्टे गलत जारी किये गये हैं जो पट्टे मात्र कागजी हैं, जिन पट्टों पर ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिन पट्टों पर सचिव के भी हस्ताक्षर नहीं है। जो पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा पट्टेधारियों के नाम जारी किये गये हैं उन पट्टाशुदा भूमि पर आज तक भी पट्टेधारियों का मौके पर



कोई कब्जा नहीं है। इसलिए पटटे निरस्त किये जाने योग्य हैं। पंचायत राज अधिनियम 158(3) के तहत अगर पटटा जारी कर दिया जाता है तो पटटेधारियों को आवंटितशुदा को दीगर लोगों को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 जम्मन सहाय ने अपने पटटाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 बच्चीदेवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 03.03.2011 को एवं प्रतिवादी संख्या 6 सुगाराम ने अपने पटटाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 छोटीदेवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.11.2019 को एवं प्रतिवादी संख्या 11 रमेशचंद ने अपने पटटाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 12 लाडा देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.11.2009 को बेचान कर दिया है जिनको बेचने का कोई हक अधिकार नहीं है। पटटाशुदा भूमि सार्वजनिक सभास्थल आदि के काम में आती है। वादीगण ने जो ग्राम पंचायत को नोटिस दिया उसके जवाब में स्वयं ग्राम पंचायत अपने जवाब नोटिस में अवैध पटटे जारी किया जाना माना है एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि माना है। **सभी पटटे अनरजिस्टर्ड हैं, क्योंकि 99/- रूपये से अधिक कीमत के पटटे होने पर उनको रजिस्टर्ड कराया जाना आवश्यक है जो उपरोक्त सभी पटटे ग्राम पंचायत लालपुरा के तत्कालीन सरपंच प्रतिवादी संख्या 1 अशिक्षित महिला होने पर जारी कराये गये हैं जो पटटे निरस्त किये जाने योग्य हैं।** प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 12 द्वारा विवादित भूमि पर पटटों की आड में अपना हक कब्जा कायम करने की नियत से वादीगण के खिलाफ दिनांक 18.02.2014 को दावा पेश करने पर वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण के नाम सार्वजनिक भूमि के पटटे जारी हैं जिस पर वादीगण ने पटटों की नकल ग्राम पंचायत से प्राप्त की जो सभी पटटे अवैध एवं फर्जी है। यदि उक्त प्रतिवादीगण द्वारा पटटों की विवादित भूमि पर जबरन अनाधिकार पूर्वक कब्जा कर लिया, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया, ग्रामवासियों व वादीगण को उपयोग उपभोग सार्वजनिक भूमि का नहीं करने दिया, जबरन अवैध तरीके से निर्माण कर शकल मौका भूमि बदल दी, दीगर लोगों को रहन बय मुन्तकिल कर दिया तो वादीगण बरबाद हो जावेंगे तथा वादीगण को ऐसा भारी नापूर्ति नुकसान होगा कि जिसकी पूर्ति रूपयों में या अन्य हकूकों में नहीं की जा सकेगी इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। विवादित पटटों की पटटे संख्या 26 लगायत 32 की भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि हैं जिसमें समस्त ग्रामवासी लालपुरा के सभी वासिन्दगान का हित निहित है और ग्राम लालपुरा की सार्वजनिक उपयोग



उपभोग की भूमि है जिमसें खेतों में आने जाने के रास्ते मौके पर हैं एवं उक्त विवादित भूमि में गांव के ही पशु चरते उठते बैठते हैं, विश्राम करते हैं और स्कूल के बच्चे खेलते हैं एवं सभा स्थल के काम आती है जो भूमि सदैव से ग्रामवासी लालपुरा के लोगों के सार्वजनिक उपयोग उपभोग के काम आती है। वाद के समर्थन में स्वयं वादी मोहन लाल गवाह पी0ड0 1 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में पेश शपथ पत्र में वाद पत्र में अंकित कथनो की पुनरावृत्ति करते हुए कथन अंकित किये है। तथा समर्थन में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 26 को प्रदर्शित करवाया है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि विवादित स्थल और उसकी आराजी खसरा नंबर 711 के बीच में पत्थरो का पारा लगा हुआ है। खसरा नंबर 710 सार्वजनिक काम में आती है। उसे इस बात की जानकारी नही कि कैम्प में पटटे जारी हुए थे या नहीं। पटटो के बारे में उसे दिनांक 18.02.2014 को न्यायालय के द्वारा सम्मन जाने पर जानकारी हुई थी। उसने दावा पटटा संख्या 26 से 32 तक के बारे में किया है तथा दावे में पेश सभी पटटो की नाप व सीमा वह बता सकता है। पटटो की साईज 15 गुणा 10 गज की है। यह बात सही है कि पटटा प्रदर्श 8 लगायत 14 आराजी खसरा नंबर 666 में आबादी लिखा हुआ है। गवाह पी0ड0 2 जयराम ने भी अपनी जिरह में वादी के अनुरूप ही अधिवक्ता प्रतिवादीगण की जिरह में कथन किया है कि खसरा नंबर 711 व 710 के बीच में पत्थरो का पारा लगा हुआ है जो मोहन लाल का है। उन्होंने खसरा नंबर 710 व 711 का रिकोर्ड देखा है। खसरा नंबर 711 कृषि भूमि है व खसरा नंबर 710 आबादी भूमि है जो सार्वजनिक है। आबादी भूमि में पंचायत पटटा जारी कर सकती है परंतु जो भूमि सार्वजनिक व जनहित की भूमि है के पटटे जारी नहीं कर सकती। मौके पर किसी का कब्जा नहीं है। पटटे की साईज 15 गुणा 10 गज है तथा मौके पर कोई सीमा नहीं है। यह कहना गलत है कि पटटे कैम्प में जारी हुए हो। सार्वजनिक जमीन को बचाने के लिए दावा किया है। गवाह पी0ड0 3 शिवराम ने अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि विवादित जमीन उसकी देखी हुई है। इस जमीन पर सात पटटे जारी हुए है। वह यह बता सकता है कि कौनसा पटटा किसके नाम जारी हुआ। पटटो की जानकारी साल दो साल बाद में हुआ है। उसे यह नहीं पता कि मोहन लाल की जमीन दबा रखी हो। गवाह पी0ड0 4 कैलाश ने जिरह में कथन किया है कि मोहन लाल की आराजी का नंबर 711 है जिसके आथुनी को विवादित जगह है। विवादित स्थल के



खसरा नंबर 710 है। विवादित जमीन में सात पट्टे जारी हुए हैं। सरपंच आबादी भूमि का पट्टा जारी कर सकता है। पट्टा जारी होने के महीने 20 दिन बाद मालूम हुआ कि पट्टे जारी हो गये। यह कहना गलत है कि विवादित जमीन में झोपड़े बने हो। आज भी खाली पड़ी है। गवाह पी0ड0 5 रामजीलाल ने जिरह में कथन किया है कि खसरा नंबर 711 रामस्वरूप, मोहन लाल वगैरा का है जिसके पश्चिम में विवादित खसरा नंबर 710 स्थित है तथा 710 के उत्तर में खसरा नंबर 17 रिकोडेड रास्ता है। खसरा नंबर 710 के दक्षिण में आबादी भूमि खसरा नंबर 709 ना होकर नदी है। विवाद 7-8 पट्टों का है। उसने पट्टों की जमीन नहीं देखी। गवाह पी0ड0 6 शिवनाथ ने जिरह में कथन किया है कि विवादित भूखण्डों की भूमि खसरा नंबर 710 है जो आबादी भूमि है जिसके उत्तर में रास्ता है जो खसरा नंबर 17 है। यह कहना गलत है कि खसरा नंबर 710 के दक्षिण में खसरा नंबर 709 की आबादी भूमि हो बल्कि नदी की जमीन है। पट्टों की जानकारी पट्टा जारी करने से 5 साल बाद हुई थी। गवाह पी0ड0 8 रासिंह ने जिरह में कथन किया है कि विवादित स्थल खसरा नंबर 710 आबादी भूमि है, किन्तु उसकी जानकारी में नहीं कि खसरा नंबर 710 के उत्तर दिशा में खसरा नंबर 17 गैर मुमकिन रास्ता स्थित हो। खसरा नंबर 709 को आबादी भूमि बताते हैं। यह कहना सही है कि खसरा नंबर 710 के साबिक नंबर 666 है। पट्टा संख्या 26 लगायत 32 किस-किस के नाम है उसे नहीं पता तथा पट्टों की सीमा नहीं बता सकता। लालपुरा ग्राम में उत्तर से दक्षिण डामर रोड जा रहा है जो किस खसरा नंबर से जा रहा है उसे जानकारी नहीं है कि खसरा नंबर 710 में से जा रहा है या अन्य खसरा नंबर से। यह सही है कि पंचायत का सरपंच अपने फैसले को नहीं बदल सकता है। जिस समय विवादित स्थल का मौका निरीक्षण किया उस समय पट्टवारी कौन था उसे ध्यान नहीं है। वह यह नहीं बता सकता कि 158 में पट्टे जारी करने की क्या प्रक्रिया है। यह सही है कि सरपंच आबादी भूमि का पट्टा जारी करता है।

11. जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण का तर्क रहा है कि उपरोक्त सभी पट्टे नियमानुसार पूर्व सरपंच सूण्डी देवी द्वारा आबादी भूमि में जारी किये गये हैं। विवादित भूमि चारागाह भूमि नहीं है, बल्कि विवादित भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा आबादी में कनवर्ट कराया गया है तथा दिनांक 12.01.1988 को उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा आबादी भूमि में कनवर्ट कर ग्राम पंचायत लालपुरा को संभलाया गया है तथा उसी के उपरान्त ग्राम पंचायत लालपुरा ने प्रार्थीयान को पट्टे जारी किये



गये हैं एवं तभी से पट्टाधारी काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं तथा पट्टा प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 जम्मन सहाय ने अपनी पट्टाशुदा भूमि को प्रतिवादिनी संख्या 4 बच्ची देवी को एवं प्रतिवादी संख्या 6 सुग्गाराम ने अपनी पट्टाशुदा भूमि को प्रतिवादिनी संख्या 7 छोटी देवी को एवं प्रतिवादी संख्या 11 रमेशचंद ने अपनी पट्टेशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 12 लाडा देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया है जिनको बेचने का संपूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त विवादित पट्टों की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। विवादित पट्टे हाल खसरा नंबर 710 वाकै ग्राम लालपुरा में जारी किये गये हैं। समस्त विवादित पट्टे ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही प्रतिवादीगण को जारी किये गये हैं। खसरा नंबर 710 में वादी मोहनलाल ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जो अतिक्रमण प्रतिवादीगण को दिये गये पट्टों की भूमि पर है। वादी मोहनलाल ने उक्त दावा वादीगण दो लगायत सात से मिलकर पट्टे वाली विवादित जमीन को हडप करने की गरज से यह दावा लेकर आया है। वादी मोहनलाल ने पत्थरों का जो डण्डा लगा रखा है यह बच्ची देवी एवं छोटी देवी तथा लाडा देवी की पट्टेशुदा आबादी भूमि के कुछ भाग पर कब्जा कर पत्थरों का कोरापारा डण्डा लगा रखा है जो डण्डा बच्ची देवी, छोटी देवी एवं लाडा देवी के दावा दायर करने के बाद लगाया है जो दावा अदालत में विचाराधीन है। उन दावों से बचने की आड में उक्त दावा न्यायालय में पेश किया गया है। विवादित पट्टों की भूमि को चारागाह भूमि गलत तरीके से दर्शित किया गया है। विवादित भूमि मोहनलाल के खेत में आने जाने हेतु रास्ते एवं खेल मैदान तथा पशुओं के चरने व उठने बैठने के काम में नहीं आती है और ना ही उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा पट्टा जारी करने एवं उसके बाद रजिस्ट्री के आधार पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। सभी पट्टे नियमानुसार जारी किये गये हैं तथा पट्टेधारी मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। यह बात गलत है कि विवादित पट्टे चारागाह भूमि में जारी किये गये हैं मात्र ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से पट्टे निरस्त योग्य नहीं है। सभी पट्टे नियमानुसार जारी किये गये हैं तथा पट्टेधारी मौके पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। आवंटियों के पास कोई पक्के मकान नहीं हैं। पट्टाधारी कभी भी आवश्यकता पडने पर अपनी पट्टेशुदा जमीन को दीगर लोगों को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार रखता है इस आधार पर



कोई भी पट्टा निरस्त होने योग्य नहीं है। वादी को पट्टेशुदा भूमि को निरस्त करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को निरस्त कराने का दावा पृथक से सिविल कोर्ट में दायर करना चाहिए। केवल यह कह देना कि पट्टेशुदा भूमि को रजिस्टर्ड बैयनामा कर दिया इस आधार पर कोई पट्टा निरस्त होने योग्य नहीं है। पट्टाशुदा भूमि सार्वजनिक सभा स्थल के लिए कभी भी काम में नहीं आयी है जो पट्टे जारी किये गये हैं वो सभी पट्टे सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद आबादी भूमि हाल खसरा नंबर 710 में जारी किये गये हैं जिनको निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है तथा निर्माण स्वीकृति का प्रार्थना पत्र खारिज कर किये जाने से कोई भी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। पट्टो का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है तथा अनरजिस्टर्ड पट्टे से पट्टे के टाइटल में कोई फर्क नहीं पडता है आवश्यकता पडने पर कभी भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया जा सकता है केवल यह बात कह देना कि पट्टे अनरजिस्टर्ड हैं इसलिए निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 पट्टेशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा पट्टा जारी करने एवं उसके बाद पट्टे के आधार पर रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। ग्रामवासियों द्वारा कभी भी विवादित भूमि का उपयोग सार्वजनिक भूमि के रूप में नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के पास विवादित भूमि का वैध टाइटल है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण कभी भी किसी को अपनी भूमि को मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार रखते है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य में गवाह डी0ड0 1 अर्जुन लाल ने अपने मुख्य परीक्षण बयानो में प्रदर्श डी 1 लगायत प्रदर्श डी 24 पेश किये तथा अपने शथप पत्र में जवाब दावा के अंकित कथनो की पुनरावृत्ति करते हुए अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि पट्टा संख्या 26 से 31 किसके नाम है उसे पता नहीं है, लेकिन पट्टा संख्या 29 उसका स्वयं का है तथा जिस पर उसका कब्जा है ओर पत्थर पडे हुए है। पट्टे जारी करते समय सरपंच सूंडी देवी थी तथा सूंडी देवी ने कब्जा संभलाया था। उस समय रसीद काट दी और कोई और कोई लिखा पढी नहीं हुई थी। पट्टो की जमीन के साईड में चारागाह भूमि है। मोहन लाल ने अपने खेत की सुरक्षा हेतु पत्थरो का डण्डा लगा रखा है। मोहन लाल का पट्टे वाली भूमि से कोई रास्ता नहीं है। यह कहना गलत है कि गांव के पशु व स्कूल के बच्चो के खेलने व पशुओ के बैठने में पट्टे की भूमि काम आती हो। यह कहना गलत है कि यह भूमि



सार्वजनिक है। सभी पट्टों की भूमि पर पक्के मकान आज नहीं बने, पहले उसका छप्पर था जो ढहा दिया गया, आज कुछ भी बना हुआ नहीं है। 15 साल से कोई घर व छप्पर नहीं है, केवल पत्थर पड़े हुए हैं। यह कहना गलत है कि सुंड़ी सरपंच से मिलकर 4-5 पट्टे एक ही परिवार के बनवा लिये, पट्टा देते समय ग्राम सेवक, उपसरपंच, वार्ड पंच कौन थे, उनका नाम ध्यान नहीं है। उसने 300 रुपये फीस जमा करवाकर पट्टा लिया था। उसने अपने पट्टे की रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। वह जन्म से ही किराये पर रह रहा है। उसे नहीं पता कि पट्टे वाली भूमि को बेचने का अधिकार उन्हें है या नहीं। उसे नहीं पता सरपंच ने पट्टों को अवैध बताया हो। गवाह डी0ड0 2 रामनिवास ने अपनी जिरह में कथन किया है कि पट्टा संख्या 26 लगायत 32 किसके नाम है उसे नहीं पता। कब्जे वाली जमीन पर पत्थर पड़े हुए हैं। वह नहीं बता सकता कि पट्टे वाली भूमि के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या स्थित है। वह नहीं बता सकता कि पट्टों के बाबत गांव वालों ने कोई शिकायत पंचायत में की हो। पट्टा जारी करते समय सुंड़ी देवी सरपंच थी। यह कहना गलत है कि पट्टे वाली भूमि गांव के पशुओं के उठने, बैठने व स्कूल के बच्चों के खेलने के काम आती हो और भूमि सार्वजनिक हो। यह कहना गलत है कि पट्टे वाली भूमि पर छप्पर बने हुए हो, आज मौके पर कोई छप्पर नहीं है, केवल पत्थर पड़े हुए हैं। उस समय लक्ष्मण वार्ड पंच और रामदयाल ग्राम सेवक था।

12. इस प्रकार पत्रावली पर आई उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य विश्लेषण करें तो वादी द्वारा तर्क दिया गया है कि कमेटी ने दिनांक 05. 03.2013 को अपनी रिपोर्ट पेश की कमेटी ने कहा कि खसरा नम्बर 710 की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी इसलिये पट्टवारी हल्का के साथ पुनः मौका निरीक्षण किया जावे। **इस पर पंचायत ने पुनः पट्टवारी हल्का के साथ मौका देखने भेजा। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 20.03.2013 को पेश की। जिसमें आज दिनांक तक किसी प्रकार का कब्जा नहीं पाया गया न ही प्लॉटों में कोई प्लॉटिंग की गई।** इस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.03.2013 को ग्रामवासियों की शिकायत व मौका रिपोर्ट देखने के पश्चात स्वीकृति का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। **प्रतिवादीगण द्वारा जो पट्टा लेने को आवेदन किया था उस आवेदन का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। पट्टे में भी कहीं पर खसरा नम्बर 710 का हवाला नहीं है। पट्टा जारी करने की कोई तारीख पट्टे में दर्ज नहीं है। पट्टों में जारी करने की दिनांक सकल्प संख्या, आदि कुछ भी दर्ज नहीं**



है। विवादित स्थल पर ना तो कोई पट्टाशुदा भूमि है ना ही प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 12 के वर्णितानुसार नपत व सीमा की कोई जमीन मोक़े पर स्थित है। जो मोक़े पर बिल्कुल खाली है जो गांव के चारागाह कि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 03 ने जम्मन पुत्र नान्छाराम निवासी लालपुरा से जो पट्टाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 04 बच्ची देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 03.03.2011 को एवं प्रतिवादी संख्या 06 सुग्गाराम ने अपने पट्टा शुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 07 छोटी देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.11.2009 को एवं प्रतिवादी संख्या 11 रमेश चन्द ने अपने पट्टाशुदा भूमि को प्रतिवादी संख्या 12 लाडा देवी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.11.2009 को बेचान कर दिया जो कानुनी रूप से पट्टे धारी को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूखण्ड की बाबत प्रतिवादी 03 लगायत 12 पट्टेदारों ने पट्टे के आधार पर पक्का निर्माण करने की मंजूरी ग्राम पंचायत से चाही थी जिस पर ग्राम पंचायत ने मोक़ा देखा और मोक़ा रिपोर्ट से पट्टेवाली भूमि पर प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 12 का कब्जा नहीं पाया। खाली पडी जमीन है जिस पर गाम पंचायत ने मजूरी नहीं दी व प्रतिवादीगण पट्टेदारो की मजूरी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 12 विवादित भूमि से गेरकाबिज व्यक्ति है। प्रतिवादीगण को जो पट्टा दिया गया है वह पट्टा कानूनी रूप से गलत है। क्योकि पट्टे पर ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है राजस्थान पंचायत राज नियम 167/2 के तहत सचिव के पट्टा पर हस्ताक्षर आवश्यक है तत्कालीन ग्राम पंचायत की सरपंच सूण्डीदेवी अशिक्षित महिला थी और तत्कालीन वार्डपंच लच्छूराम पढा लिखा व चतूर चालाक किस्म का था जिसने सरपंच को अपने प्रभाव मे लेकर अपने परिवाजन व अपने मिलने वाले लोगो को पट्टे जारी करवा लिये जिसके उल्लेख वादपत्र में किया गया है। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीट ने Mahipal VS state of Rajasthan and others D.B.spl appl. Writ no 327/2026 मे ग्राम पंचायत भूमि आवंटन से जुडे एक महत्वपूर्ण मामले मे बड़ा फैसला सुनाते हुये स्पष्ट किया है कि यदि भूमि का आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है तो केवल कब्जा, निर्माण या बिजली कनेक्शन होने मात्र से उसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। माननीय होई कोर्ट ने इस मामले मे सरपंच द्वारा अपने ही रिश्तेदारी को जमीन आवंटन करने पर भी टिप्पणी करते हुये



कहा कि यह मामला केवल तकनीकी त्रुटियों का नहीं बल्कि नेपोटिज्म (भाई भतीजावाद) और फेवरिटीज्म (पक्षपात) का स्पष्ट उदारण है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी और से गवाह डी डब्लू 1 अर्जुनलाल व डी डब्लू 02 रामनिवास की गवाही करवायी गई है जिसमें डी डब्लू 1 अर्जुनलाल जिरह में कहता है कि पट्टासंख्या 26,27,28,30,31 पट्टे किसके के नाम है मुझे पता नहीं है पट्टा संख्या 29 पर मेरा कब्जा है मेरा पत्थर पड़ा हुआ है छप्पर ढहा दिया जयराम व रामजीलाल ने ढहा दिया व जिरह में आगे कहता है कि यह बात सही है कि सभी पट्टों वाली भूमि पर पक्के मकान आज तक नहीं बने पहले मेरा छप्पर था जो ढहा दिया आज कुछ नहीं बना हुआ 15 साल पहले छप्पर ढहा दिया 15 साल से कोई घर छप्पर नहीं है केवल पत्थर पड़े हुये हैं उसके ध्यान में नहीं है कि उसने कोई स्वीकृति पंचायत से पक्के मकान बनाने के लिये ली हो रामजीलाल उपसरंपच रहा था राजसिंह सरंपच था मेने मकान स्वीकृति का आवेदन किया था रामजीलाल मेरे खिलाफ था इसलिए हमारे मकान की दरखास्त खारिज की थी डब्लू 02 रामनिवास जिरह में कहता है कि पट्टा संख्या 26 लगायत 32 किसके के नाम है। मुझे पता नहीं है यह बात सही है कि पट्टा जारी करते समय सुण्डी देवी सरंपच थी व आगे जिरह में कहता है पट्टे वाली भूमि पर छप्पर बने हुये थे आज मौके पर कोई छप्पर नहीं है केवल पत्थर पड़े हुये हैं उक्त बयानों के अलावा प्रतिवादीगण ने कोई गवाही नहीं करवाई प्रतिवादीगण ने सुण्डी देवी के बयान करवाये और ना ही ग्राम पंचायत की और से कोई गवाही करवाई गई। प्रतिवादीगण का आज तक मौके पर कोई कब्जा नहीं है और प्रतिवादीगण को पट्टे जारी किये गये हैं वो गैर कानूनी रूप से जारी किये गये हैं जो सभी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य हैं। वादीगण की और कुल 8 गवाह पेश किये गये हैं जिनमें सभी गवाहों ने कहा प्रतिवादीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है प्रतिवादीगण को गलत व अवैध रूप से पट्टे जारी किये गये हैं व प्रतिवादीगण ने जो निर्माण स्वीकृति की बाबत जो प्रार्थना पत्र लगाया था वह ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया था परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विहित काल के अवसान के पश्चात दायर किया गया दावा खारिज कर दिया जावेगा भले ही प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठायी नहीं गई हो। हस्तगत प्रकरण पट्टा केन्सीलेशन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है और परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 59 के अनुसार दस्तावेज पट्टों को निरस्त/केन्सीलेशन करने की तथा अनुच्छेद 113 के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा



की मियाद अवधि पट्टो की जानकारी से शुरू होकर जानकारी से तीन साल तक रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पट्टे दिनांक 13.12.1999 में जारी किये गये थे जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से थी क्योंकि वादीगण के ग्वाह पीड 4 जो ग्राम लालपुरा का निवासी है, ने अपनी जिरह के दूसरे पेज की चौथी लाईन में कथन किया है कि पट्टा जारी होने के महिने बीस दिन बाद मालूम हुआ कि पट्टे जारी हो गए है। ग्वाह पीड 3 जो ग्राम लालपुरा का निवासी है, की बात पर भी विश्वास कर लिया जावे तो भी ग्वाह पीड-3 ने अपनी जिरह के दूसरे पेज छठी लाईन में कथन किया है कि इन पट्टों का मालूम हमें साल दो साल बाद हुआ है। इस प्रकार पीड 3 के अनुसार ग्राम लालपुरा के निवासियों को दिनांक 13.12.1999 को जारी पट्टो की जानकारी साल दो साल बाद अर्थात् 2000-2001 में हो गई थी इस प्रकार दावा जानकारी से तीन साल के भीतर अर्थात् 2004 तक पेश करना चाहिए था लेकिन ग्राम लालपुरा के ग्रामवासियों को पट्टो की जानकारी होने के बावजूद भी परिसीमा अवधि/मियाद अवधि के भीतर दावा पेश नहीं किया। वादी संख्या चार जो ग्वाह पीड-6 ने अपनी जिरह के दूसरे पेज की 16 वीं लाईन में कथन किया है कि पट्टों की जानकारी पट्टा जारी करने से 5 साल बाद हो गई थी। इस प्रकार वादी संख्या चार के अनुसार दिनांक 13.12.1999 को जारी पट्टो की जानकारी पांच साल बाद अर्थात् 2004 में हो गई थी इस प्रकार दावा जानकारी से तीन साल के भीतर अर्थात् 2007 तक पेश करना चाहिए था लेकिन वादीगण ने दावा जानकारी से तीन साल के भीतर पेश नहीं किया। दूसरी ओर वादीगण को अपनी चीफ/हलफनामों में यह साबित करना था कि दावा किस प्रकार अन्दर मियाद पेश किया गया है। लेकिन वादीगण ने अपनी चीफ/हलफनामों में कही भी दावा अन्दर मियाद पेश करने का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण अपनी चीफ के माध्यम से भी यह साबित करने में असफल रहे है कि दावा अन्दर मियाद पेश किया गया है। साथ ही जवाब दावे के जिम्मन नम्बर 11 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वादीगण का दावा मियाद बाहर पेश किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा पेश हलफनामों में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादीगण का दावा मियाद बाहर है तथा जिसके संदर्भ में प्रतिवादीगण की जिरह भी अकाट्य रही है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार चाहे प्रतिरक्षा में परिसीमा की बात उठायी ही नहीं हो चाहे परिसीमा अवधि बाबत विवाद्यक बनी ही नहीं हो तो भी यह न्यायालय का दायित्व है कि यदि साक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि दावा



परिसीमा अवधि के बाहर पेश किया गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण स्वयं वादीगण की साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य सेबखूबी साबित है कि **वादीगण ने उक्त दावा परिसीमा अधिनियम की अनुसूची में विहित काल के अवसान के पश्चात न्यायालय में दिनांक 18.02.2014 को पेश किया है।** वादीगण का दावा न केवल परिसीमा द्वारा वर्जित है बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार रेस जुडिकेटा के सिद्धान्तों से भी वर्जित है। पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में स्वामित्व की वैधता के सम्बन्ध में विवादक कायम किये गये हो और उस मुकदमें में स्वामित्व की वैधता का निर्धारण करते हुए न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा निर्णित कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में बाद में अगर स्वामित्व की वैधता के संदर्भ में कोई पश्चातवर्ती दावा पेश किया जाता है तो ऐसा दावा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार रेस जुडिकेटा होने के आधार पर खारिज फरमा दिया जावेगा। वादीगण के गवाह पीड-1 ने अपनी जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि मेरी आराजी के तरफ पश्चिम को विवादित स्थल है यह बात सही है कि विवादित स्थल व मेरी आराजी के बीच में पत्थरों का पारा लगा हुआ है यह बात सही है कि मेरी आराजी खसरा नम्बर 711 के पारा के बाद खसरा नम्बर 710 स्थिति है जो मेरी आराजी के पश्चिम में स्थित है साथ ही वादीगण के गवाह पीड 2 ने अपनी जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि खसरा नम्बर 711 कृषि भूमी है व खसरा नम्बर 710 आबादी भूमी है। साथ ही वादीगण के गवाह पीड 4 ने अपनी जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि विवादित जगह के खसरा नम्बर 710 है यह बात भी सही है कि यह जमीन आबादी दर्ज है इस विवादित जमीन में सात पट्टे जारी हुये थे सरपंच आबादी भूमी का पट्टा जारी कर सकता है। साथ ही वादीगण के गवाह पीड 5 ने अपनी जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि खसरा नम्बर 711 के पश्चिम में विवादित खसरा नम्बर 710 स्थित है। यह बात सही है कि खसरा नम्बर 710 आबादी है। साथ ही वादीगण पीड 6 (वादी संख्या 4) ने अपनी जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि खसरा नम्बर 711 के पश्चिम में विवादित भूखण्डों की भूमी खसरा नम्बर 710 है जो आबादी भूमी है। साथ ही वादीगण के गवाह पीड 7 ने अपनी जिरह के दूसरे पेज के शुरू में कथन किया है कि मैंने सुना है कि खसरा नम्बर 710 आबादी में पडता है। खसरा नम्बर 710 रामस्वरूप वगैरा की खातेदारी के पश्चिम को पडता है। साथ ही वादीगण पीड 8 ने अपनी



जिरह के शुरू में कथन किया है कि यह बात सही है कि विवादित स्थल मोहनलाल वगैरा की खातेदारी आराजी के पश्चिम में है। यह कहना सही है कि विवादित स्थल खसरा नम्बर 710 आबादी भूमी है तथा आगे जिरह की दसवीं लाईन से कथन किया है कि यह कहना सही है कि खसरा नम्बर 710 के साबिक (पुराने) नम्बर 666 हैं। इस प्रकार वादीगण की जिरह से भी बखूबी साबित हो जाता है कि पट्टे सार्वजनिक उपयोग की भूमी, चारागाह भूमी, रास्ते की भूमी व खेल मैदान की भूमी में न दिया जाकर आबादी भूमी खसरा नम्बर 666 वर्तमान नम्बर 710 में दिया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण पट्टे के अवैध गैर कानूनी होने के उक्त कारण को साबित करने में असफल रहे हैं। वादीगण ने पट्टे निरस्त करने का दूसरा आधार अपने दावे में यह बताया है कि पट्टेधारियों का पट्टेशुद्धा भूमी पर आज तक मौके पर कब्जा नहीं है। **विधि का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी स्वयं में कब्जे का प्रमाण होती है। अर्थात् यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जाती है। तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जिस व्यक्ति के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी है वही कब्जे में है। इस प्रकार वादीगण पट्टों को निरस्त करने के उक्त आधार को भी साबित करने में असमर्थ रहे हैं। तीसरा आधार अपने दावे में यह बताया है कि पंचायत अधिनियम की धारा 158(3) के अनुसार अगर पट्टा जारी कर दिया जाता है तो पट्टेधारियों को आवंटितशुदा भूखण्ड को दीगर लोगो को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इस बिना पर भी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त पट्टे पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार जारी किये गए हैं। इसलिए 158. कमजोर वर्गों को भूमि का आवंटन— (1) पंचायत गांव की आबादी अनुसूचित जाति, सफाईकर्म, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गांव के कारीगर, मजदूरी पर निर्भर भूमिहीन व्यक्ति, आईआरडीपी चयनित परिवार, विकलांग, घुमंतू जनजाति, गाडियां लोहार जिनके पास मकान नहीं है और बाढ़ पीडितों को जिनके मकान बह गए हैं या मकान बाढ़ के कारण भविष्य में रहने के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं, रियायती दर पर 1300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि आवंटित कर सकती है। (2) ऐसे आवंटियों से ली जाने वाली दरें निम्नानुसार होंगी। (ए) 1000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में (1991 की जनगणना) रुपये 2 प्रति वर्ग मीटर.(बी) 1001 से 2000 तक की जनसंख्या वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 5 रुपये प्रति वर्गमीटर (सी) 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में**



(1991 की जनगणना) रुपये 10 प्रति वर्ग मीटर बशर्ते कि राज्य सरकार ऐसी भूमि किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। (3) निःशुल्क आवंटित आबादी भूमि हस्तांतरणीय नहीं होगी। सशुल्क पट्टा अगर पट्टानियम 158 के खण्ड (2) के अनुसार शुल्क राशि प्राप्त कर जारी किये जाते हैं तो ऐसे पट्टे पर यह मोहर अंकित नहीं होती है कि पट्टा बिक्री के लिए नहीं है और ऐसे पट्टे हस्तान्तरण योग्य होते हैं। जिनके अन्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा ऐसा हस्तान्तरण वैध होता है। निःशुल्क पट्टा निःशुल्क पट्टे नियम 158 के खण्ड (3) के अनुसार यदि किसी आबादी भूमि का पट्टा निःशुल्क दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस पट्टे पर यह मोहर अंकित की जायेगी कि उक्त पट्टा बिक्री के लिए नहीं है और यदि ऐसे निःशुल्क आबादी भूमि के पट्टे को हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और आबादी भूमि पंचायत में निहित हो जायेगी। क्योंकि उक्त सभी विवादित पट्टे पंचायत राज नियम के नियम 158 (2) के अनुसार सशुल्क दिये गये थे। जिसके लिए नियम 158 (2) के खण्ड ए के अनुसार प्रत्येक पट्टेधारियों ने ग्राम पंचायत को 300 रुपये शुल्क के अदा किये थे जिनकी रसीद प्रदर्श डी 12, प्रदर्श डी 14, प्रदर्श डी 17, प्रदर्श डी 19, प्रदर्श डी 21, प्रदर्श डी 23 ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा पट्टेधारियों के पक्ष में जारी की गई थी। इस प्रकार स्पष्ट है जिन व्यक्तियों के पक्ष में पट्टे जारी किये गये हैं वो सभी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और नियम 158 (1) के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जा सकता है। पट्टा नियम 158 (2) के अनुसार शुल्क अंदा करके जारी किया गया हो उक्त पट्टे जारी करते समय नियम 158 (2) के खण्ड ए के अनुसार पट्टाधारको ने प्रत्येक पट्टे के लिए शुल्क राशि 300 रुपये जमा करवाये थे जिसकी रसीद ग्राम पंचायत लालपुरा द्वारा जारी की गई है। जिन रसीदों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-12, प्रदर्श डी-14, प्रदर्श डी-17, प्रदर्श डी-19, प्रदर्श डी-21, प्रदर्श डी-23, प्रतिवादीगण ने पेश की है। वादीगण ने पट्टे निरस्त करने का पांचवा आधार अपने दावे में यह बताया है कि सभी पट्टे अनरजिस्टर्ड हैं। क्योंकि 99 रुपये से अधिक कीमत के पट्टे होने पर उनको रजिस्टर्ड कराया जाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(2) (vii) के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम व नियमों के अधीन जारी किये गए पट्टे का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। वादीगण ने पट्टे निरस्त करने का छठा आधार आधार पट्टों पर ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं होना बताया है राजस्थान पंचायत राज नियम 167(2) के तहत सचिव



के हस्ताक्षर पटटे पर आवश्यक है लेकिन उक्त ऐतराज वादीगण ने गलत तरीके से उठाया है। क्योंकि प्रमाणित प्रति पट्टे के पीछे के पेज पर संरपंच सूण्डी देवी के साथ साथ ग्राम सेवक पदेन सचिव रामदयाल की मोहर व हस्ताक्षर मौजूद है। उक्त के संबंध में देखा जाए तो जारीशुदा पटटे राज. पंचायत एवं न्याय उप समिति सामान्य नियम 1961 के 266 के अधीन जारी किया जाना दर्शित है जबकि उक्त पटटे 1996 के नियम 158 के तहत जारी किये जाने चाहिए थे। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 158 (1) के अनुसार के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में, 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारो, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रवण मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दारों पर आवंटित कर सकेगी। किन्तु प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली पर इस तरह कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है कि विवादित स्थल का जो पटटा जिन लोगो को जारी किया गया है उनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह है अथवा नहीं है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 159 में यह प्रावधान है कि पंचायत, उसमें उपलब्ध आबादी भूमि में से 500 वर्ग गज तक के भूखण्ड पूर्विक्ता के आधार पर भूतपूर्व सेना के ऐसे कर्मियों को जिनके पास किसी भी आबादी भूमि में स्वयं का मकान नहीं है नियम 152 के उप नियम (5) में उल्लिखित बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी। जहां तक प्रतिवादी का यह तर्क कि राजस्थान पंचायत राज नियम 167(2) के तहत सचिव के हस्ताक्षर पटटे पर आवश्यक है लेकिन उक्त ऐतराज वादीगण ने गलत तरीके से उठाया है। क्योंकि प्रमाणित प्रति पट्टे के पीछे के पेज पर संरपंच सूण्डी देवी के साथ साथ ग्राम सेवक पदेन सचिव रामदयाल की मोहर व हस्ताक्षर मौजूद है तो इस संबंध में धारा 167 के नियम 2 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि पटटे पर सरपंच और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे। इस संबंध में पंचायत द्वारा जारी पटटो का अवलोकन करें तो पत्रावली में संलग्न किसी भी पटटे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं होना न्यायालय के समक्ष दर्शित होता है। प्रतिवादीगण का यह तर्क कि विधि का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी स्वयं में कब्जे का



प्रमाण होती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जिस व्यक्ति के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री है वही कब्जे में है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो कमेटी ने दिनांक 05. 03.2013 को अपनी ग्राम पंचायत लालपुरा की मौका रिपोर्ट प्रदर्श 6 पेश की तथा कहा कि खसरा नम्बर 710 की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी इसलिये पटवारी हल्का के साथ पुनः मौका निरीक्षण किया जावे। इस पर पंचायत ने पुनः पटवारी हल्का के साथ मौका देखने भेजा। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 20.03.2013 को पेश की। जिसमें आज दिनांक तक किसी प्रकार का कब्जा नहीं पाया गया न ही प्लाटों में कोई प्लोटिंग की गई। इस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.03.2013 को ग्रामवासियों की शिकायत व मौका रिपोर्ट देखने के पश्चात स्वीकृति का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे स्वयं प्रतिवादी का लिखित बहस का यह कथन की उक्त पटटे पटटेधारको को इस आधार पर दिये गये थे कि उनके पास किसी प्रकार आवासीय घर नहीं था जिसे बनाने के लिए पटटे दिये गये थे, किन्तु उक्त पटटे वर्ष 1999 में जारी करने के पश्चात उक्त पर्चा रिपोर्ट प्रदर्श 5 दिनांक 20.02.2013 व दिनांक 20.03.2013 दोनों में ही उक्त विवादित स्थल पर उक्त रिपोर्ट अनुसार किसी का भी कब्जा या निर्माण नहीं होना पाया गया एवं उक्त विवादित स्थल खाली पाया गया। जिससे यह साबित होता है विवादित पटटों की जगह पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है पत्रावली पर तनिक मात्र भी ऐसी साक्ष्य नहीं आई है जिससे यह साबित हो सके कि प्रकरण में जारीशुदा पटटो की भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा साबित होता हो और ना ही किसी गवाह ने अपने बयानो में यह कथन किया है कि वे विवादित भूमि पर काबिज है। ऐसे में प्रतिवादीगण का यह तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है। साथ ही प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में यह कथन किया गया है कि अगर किसी पक्षकार के स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निर्णित होता है तो वह स्वामित्व के दावे में भी प्रभावी रहेगा। जिस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये थे :- **Sulochana Amma Vs Narayanan (1994) 2 Sc 14: Air 1994 Sc 152.** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है The decree passed in injunction suit wherein issue regarding title of the party was directly and substantially in issue and decided and attained finality would operate as Res judicata in a subsequent suit based on title, where the same issue directly and



substantially arises between the parties. **Sajjadanashin Sayed Md. B.E.Edr.(D) By Lrs Vs Musa Dadabhai Ummer And Others (2000) 3 Scc 350** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है Once in a suit for injunction, title is in issue and decided, the said finding of title will operate as res judicata in a subsequent suit where title is in issue. **Randhir Singh Vs Satish Kumar & Ors (RFA No.-156/2017)**- में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि Once in a suit for injunction, title is in issue and decided, the said finding of title will operate as res judicata in a subsequent suit where title is in issue. जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में अगर स्वामित्व के संबंध में निर्णित किया जाता है तो वह आगामी प्रकरणों पर प्रभावी होगा। परंतु उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के सदर्थ में स्वामित्व के संबंध में पूर्व में कोई दावा निर्णित हुआ हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है एवं ना ही प्रकरण में पूर्व में उक्त विवाद को का विनिश्चय किया जा चुका है ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 की धारा 144 में प्रतिपादित किया गया है कि :- भूमि-पट्टी का आवंटन (1) पंचायत 100 वर्ग गज तक की कोई भूमि पट्टी निवासीय प्रयोजनों के लिए और 200 वर्ग फुट तक की भूमि पट्टी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान बाजार मूल्य पर आवंटित कर सकेगी।

(2) भूमि पट्टी केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित की जायेगी जिनका विद्यमान मकान/दुकान ऐसी पट्टी से लगी हुई है और उसके लिए अन्य कोई भी आवेदक नहीं है।

(3) एक से अधिक व्यक्तियों के मकानों/दुकानों के पट्टी से लगी हुई होने के मामले में उन्हें नीलाम किया जायेगा।

13. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 की धारा 158 में प्रतिपादित किया गया है कि :- भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन- (1) पंचायत, गांव आबादियों में, 150 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/ गृह नहीं हैं, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी।

(2) ऐसे आवंटियों से निम्न प्रकार दर वसूली की जावेगी-



(क) 1000 से कम की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 2/- प्रतिवर्ग मीटर

(ख) 1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 5/- प्रतिवर्ग मीटर

(ग) 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 10/- प्रतिवर्ग मीटर

परन्तु राज्य सरकार ऐसी भूमियों को व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।

(3) इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बड़े अक्षरों में श्रविक्रय के लिए नहींश की मुहर लगायी जायेगी। यदि कोई भी आवंटिती ऐसे गृह स्थल/गृह को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित या विक्रीत करे तो आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा, स्वामित्व, उस पर के संनिर्माण या पडी सामग्री के साथ पंचायत में निहित हो जायेगा और अंतरिती को ऐसी आबादी भूमि पर अतिचारी मानते हुए बेदखल कर दिया जायेगा।

(4) तथापि पंचायत बैठक में किसी संकल्प द्वारा ऐसी भूमि को बातचीत द्वारा अनुकम्पा आधारों पर ऐसे अतिचारी को बाजार कीमत पर आवंटित करने का निश्चय कर सकेगी।

(5) ऐसे आवंटिती को भविष्य में किसी भी पश्चातवर्ती आवंटन से विसर्जित किया जायेगा।

(6) उप-नियम (3) और (4) तथा (5) में अन्तर्विष्ट उपबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पंचायत क्षेत्र में निःशुल्क अवंटित किये जाने वाले दुकान-स्थलों के लिए भी लागू होंगे।

(7) बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों को अन्य स्थान/स्थानों पर गृह-स्थलों के आवंटन के लिए संबंधित पंचायत ऐसे व्यक्तियों से आवेदन इस परिचयन के साथ आमंत्रित करेगी कि अन्य स्थान/स्थानों पर गृह स्थलों के आवंटन की स्थिति में बाढ़ में बह गये गृह स्थल सामग्री सहित सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप में, संबंधित पंचायत में निहित हो जायेंगे।

14. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 की धारा 159 में प्रतिपादित किया गया है कि :- भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन (1) पंचायत, उसमें उपलब्ध आबादी भूमि में से 500 वर्ग गज तक के भूखण्ड पूर्विकता के आधार पर भूतपूर्व सेना के ऐसे कर्मियों को (जो कमीशंड रैंकों के नहीं हैं) जिनके पास किसी भी



आबादी भूमि में स्वयं का मकान नहीं है, नियम 152 के उप-नियम (5) में उल्लिखित बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी।

(2) पंचायत ग्राम सेवा सहकारी समितिध्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटीध्वड़ी बहुउद्देशीय सोसाइटीधविपणन सोसाइटी के गोदामों/कार्यालयों आदि के लिए 1,500 वर्ग गज तक के भूखण्ड भी, पूर्विकता के आधार पर नियम 152 के उप-नियम (5) में उल्लिखित बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी। उपरोक्त विधि अनुसार प्रतिवादी का यह तर्क कि उपरोक्त पट्टे नियमानुसार जारी किये गये वे विरोधाभासी होने से स्वतः खण्डित हो जाते हैं एवं मौका पर्चा रिपोर्ट भी विधि अनुरूप नहीं होने पर प्रतिवादी के तर्कों का खण्डन करते हैं। जिस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत

Mahipal VS state of Rajasthan and others D.B.spl appl. Writ no 327/2026

में यह प्रतिपादित किया गया है कि :- 5. At the outset, reference may first be had to the order dated 29.11.2022 passed by the learned revisional authority. The inspection report of the Development Officer reveals that lease deeds had been issued in favour of the Sarpanch's close relatives, i.e., his brothers, nephews, wife and mother, that too, without following the prescribed legal procedure, indicating an attempt to extend undue benefit to family members.

5.1. Three major irregularities were noted:

a). Firstly, the lease deed was issued under Rule 157(1) meant for regularization of old houses, whereas the land in question was in fact a vacant plot;

b). Secondly, the then Sarpanch violated Rule 47 of the Rajasthan Panchayati Raj Act by participating in a decision in which he had a direct personal interest, as the allotment was made to his relative;

c). Thirdly, several serious procedural lapses were found, including an undated application under Rule 157(1), contradictory office notes containing multiple dates, incomplete and pre-typed miscellaneous orders, undated inspection forms, and non-compliance with Rules 145 to 155 governing allotment. The objection notice period was reduced to 7 days instead of the mandatory 30 days, and although the lease amount exceeded ₹50,000, approval from the competent authority under Rule 154(3)(k) was not obtained.

5.2. In view of these grave irregularities, the revisional authority, and in our opinion also, rightly so, held that the issuance of the lease deed was legally unsustainable. Consequently, the order dated 20.04.2018 and the lease deed



issued pursuant thereto were cancelled, and the Chief Executive Officer, Zila Parishad, Pali was directed to initiate action against the concerned officials and restore possession of the land to the Gram Panchayat.

6. Aside above, the existence of the familial relationship with sarpanch establishes a clear conflict of interest.

7. In fact, in light of the findings recorded by the revisional authority, a specific query was posed to the learned counsel for the appellant as to whether the relationship between the appellant and the then Sarpanch, as noted in the impugned order, was correct. Learned counsel for the appellant did not dispute the existence of such familial relationship.

8. Once this crucial aspect stands admitted, the entire edifice of the appellant's case collapses. The material unmistakably indicates that the patta in question was issued to a close relative of the then Sarpanch in blatant disregard of the statutory procedure. Such an act, viewed in its proper perspective, bears the unmistakable imprint of nepotism and favouritism, where public authority was misused to extend undue benefit to a family member at the cost of transparency and fairness in the administration of public land. This circumstance alone is sufficient to dissuade this Court from exercising its discretionary jurisdiction in favour of the appellant.

9. We also find ourselves in respectful agreement with the well-reasoned conclusions recorded by the learned Single Judge while dismissing the writ petition filed by the appellant. The relevant portion of the impugned judgment reads as under:

"15. Section 97 of the Rajasthan Panchayati Raj Act empowers the Collector to examine the legality and propriety of pattas issued by the Gram Panchayat. The Collector, acting as a revisional authority, has the power to correct errors, irregularities, or illegality in such issuance. In the present case, the Collector's order cancelling the patta falls squarely within the scope of such powers.

16. The petitioner has relied upon alleged old possession, construction, and existence of an electricity connection to support his claim. Even assuming possession existed, possession alone cannot legalize an allotment issued in violation of statutory provisions. It is a settled legal position that a party cannot derive a right from possession or investment when the foundational allotment itself is unlawful. Any hardship claimed by the petitioner cannot



override the clear statutory mandate."

10. We are satisfied that the patta in question was issued in clear violation of the statutory provisions governing allotment of Gram Panchayat land and was rightly cancelled by the revisional authority. उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पट्टे जारी नहीं किये गये थे। क्योंकि रिहायती दरों पर पट्टे जारी किये गये थे तो मार्केट दर के आधार पर शुल्क प्राप्त किया जाना चाहिए थ एवं उक्त पट्टे अगर विशेष वर्ग में आने के आधार पर जारी किये गये थे तो वह भी अंकन जारीशुदा पट्टो पर नहीं है। ऐसे में जारीशुदा पट्टे विधिअनुसार जारी किया जाना न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं है। प्रतिवादी के द्वारा अपनी लिखित बहस में उक्त वाद को मियाद बाहर होने का कथन किया है एवं स्पष्ट रूप से यह अंकन किया गया है कि उक्त वाद परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 59 के अनुसार दस्तावेज पट्टो को निरस्त/केन्सीलेशन करने की तथा अनुच्छेद 113 के अनुसार बाधित है। जिस संबंध में संबंधित अनुच्छेद का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एक प्रतिनिधित्व वाद है ऐसे में उक्त वाद धारा 111 व 112 में परिसीमा के अधीन उक्त वाद आता है। ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में तय किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

15. **विवाद्यक संख्या 3**

आया विवादित पट्टे खसरा नंबर 710 ग्राम लालपुरा द्वारा जारी किये गए है जिसमें वादी ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिस पर वादी बतौर अतिक्रमी काबिज है ? उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण है। जिसके संबंध में पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य नहीं आई है जिससे न्यायालय के समक्ष यह प्रकट हो सके कि खसरा नंबर 710 पर वादी अतिक्रमी हो। यहां तक प्रकरण में आई समस्त मौखिक साक्ष्य में खसरा नंबर 710 पर वादी मोहन लाल का काबिज होना कथन किया गया है। ऐसे में विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

16. **विवाद्यक संख्या 4**

आया मालियत दावा दो लाख रुपये होने से वादी द्वारा समुचित कोर्ट फीस अदा नहीं की गई है ? उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह दर्शित होता है कि



उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ना ही तो इस संबंध में कोई विशेष जोर दिया गया है और ना ही कोई ऐसी साक्ष्य पेश की है जिससे यह साबित हो सके कि मालियत दावा दो लाख रुपये या इससे अधिक है। ऐसे में उक्त विवाद्यक साक्ष्य के अभाव में वादी के पक्ष में तय की जाती है।

17. **विवाद्यक संख्या 5**

आया वादी द्वारा धारा 109 पंचायत अधिनियम के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है ? उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह दर्शित होता है कि उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ना ही तो इस संबंध में कोई विशेष जोर दिया गया है और ना ही कोई ऐसी साक्ष्य पेश की है जिससे यह साबित हो सके कि मालियत दावा दो लाख रुपये या इससे अधिक है। ऐसे में उक्त विवाद्यक साक्ष्य के अभाव में वादी के पक्ष में तय की जाती है।

18. **विवाद्यक संख्या 6 अनुतोष:** उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 1 लगायत 5 वादी के के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय हुए हैं। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि प्रकरण में विवादित भूमि के पट्टे अवैध रूप से बिना सचिव के हस्ताक्षरों के जारी किये गये हैं तथा उक्त विवादित पट्टों की भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा आज दिनांक तक होना प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहा है। साथ ही प्रकरण में पूर्व सरपंच सूंडी देवी को पक्षकार बनाया गया है, किन्तु उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है, जो कि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य से साबित कर सकती थी विवादित भूखण्ड के जारीशुदा पट्टे वैध है अथवा अवैध एवं किस प्रकार से उसके द्वारा जारी किये गये हैं एवं उन पट्टों पर सचिव के हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं जबकि सचिव के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::- आदेश :-

19. परिणामतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में विवादित भूमि पर जारीशुदा पट्टा संख्या 26 लगायत 32 को अवैध व शून्य करा दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है



कि वे सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर जबरन कब्जा कर कोई निर्माण कार्य ना करें, उक्त गलत पट्टो के आधार पर सार्वजनिक उपयोग की भूमि को दीगर लोगो को रहन, बय, मुंतकिल ना करें, उक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि रहने दे तथा शकल मौका भूमि ना बदले। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश,
थानागाजी जिला अलवर

20. निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
सिविल न्यायाधीश,
थानागाजी जिला अलवर